

फेमिनिज़म इन इंडिया हिंदी

लैंगिक हिंसा की कवरेज और हिंदी मीडिया

लैंगिक हिंसा पर संवेदनशील रिपोर्टिंग कैसे करें

दिसंबर, 2022



परियोजना पर्यवेक्षक

जपलीन पसरीचा,

फाउंडर-सीईओ, फेमिनिज़म इन इंडिया

परियोजना नेतृत्वकर्ता, मुख्य शोधकर्ता एवं रिपोर्ट लेखक रितिका,

मैनेजिंग एडिटर, फेमिनिज़म इन इंडिया, हिंदी

सहायक शोधकर्ता एवं रिपोर्ट लेखक

पूजा राठी,

असिस्टेंट एडिटर, फेमिनिज़म इन इंडिया, हिंदी

रिपोर्ट डिज़ाइन

रितिका बनर्जी

सामग्री

01	परिचय	01
02	शोध की विधि	06
	 शोध में शामिल मीडिया वेबसाइट्स और अख़बार 	07
03	रिपोर्ट के मुख्य बिंदु	08
04	लैंगिक हिंसा क्या है	10
	 लैंगिक हिंसा और समावेशी नज़रिया ज़रूरी क्यों 	12
05	लैंगिक हिंसा और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हिंदी मीडिया की पूर्वाग्रह से ग्रसित कवरेज	14
	जाति	14
	• यौनिकता	19
	• विकलांगता	22
	उम्र	27
	• धर्म	28
	• क्षेत्रीयता	29

06	लैंगिक हिंसा की कवरेज और हिंदी मीडिया की असंवेदनशील भाषा	32
	 सनसनीखेज़ हेडलाइंस और भाषा का इस्तेमाल दोषी/अपराधी से अधिक सर्वाइवर को केंद्र में रखना अपराध कैसे हुआ, इस दौरान क्या हुआ इसकी जानकारी को केंद्र में रखना बलात्कार/यौन हिंसा की घटनाओं को सर्वाइवर की इज्ज़त/आबरू लुट जाने के रूप में चित्रित करना 	32 35 37 39
07	विक्टिम ब्लेमिंग और मीडिया के सवालों के कठघरे में सर्वाइवर	40
08	परिचित द्वारा यौन हिंसा/लैंगिक हिंसा के मामले में मीडिया का पितृसत्तात्मक रवैया	44
09	एकतरफा प्रेमी/सिरफिरे आशिक के सिंड्रोम से ग्रसित मीडिया	46
10	सर्वाइवर पर भरोसा न करना	48
11	सर्वाइवर की पहचान को उजागर करना	50

12	लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में तस्वीरों का महत्व	52
	 हिंदी मीडिया द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित तस्वीरों का इस्तेमाल लैंगिक हिंसा की ख़बरों में कैसी तस्वीरों का करें इस्तेमाल 	52 55
13	लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स का साक्षात्कार कैसे करें	60
14	लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में किन शब्दों का करें इस्तेमाल	63
15	सुझाव व निष्कर्ष	66
16	जेंडर, यौनिकता, लैंगिक हिंसा आदि पर मौजूद नारीवादी व समावेशी रिसोर्स:	72
17	रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए संदर्भ	73

परिचय

हम कौन हैं?

फ़ेमिनिज़म इन इंडिया एक समावेशी नारीवादी मीडिया संस्थान है, जो नारीवाद पर समझ विकसित करने और नारीवादी संवेदनशीलता को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। हमारा उद्देश्य नारीवाद से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करके कला, मीडिया, संस्कृति और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल कर महिलाओं और समाज के हाशिए के समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना है। फेमिनिज़म इन इंडिया दो भाषाओं- हिंदी और अंग्रेज़ी में समावेशी नारीवाद के मुद्दों पर लेख प्रकाशित करता है। साथ ही हमारी संस्था समावेशी नारीवाद से संबंधित अलग-अलग मुद्दों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो, पोस्टर, पॉडकास्ट आदि माध्यमों का इस्तेमाल बखूबी करती है। इसके अलावा हमारी संस्था लैंगिक हिंसा, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार, जेंडर आदि विभिन्न मुद्दों पर आधारित अभियानों के ज़िरये जागरूकता फैलाने के काम में जुटी हुई है।



चेतावनी

इस रिपोर्ट में लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, जातिगत हिंसा से जुड़ी कई घटनाओं का ज़िक्र किया गया है, जो कई लोगों को परेशान कर सकता है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के दौरान अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें।

साभार

लैंगिक हिंसा पर संवेदनशील रिपोर्टिंग कैसे की जाए इस मुद्दे पर अलग-अलग भाषाओं, ख़ासकर अंग्रेज़ी में पहले से ही कई गाइडलाइंस, टूलिकट और रिपोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन हिंदी में इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट की गैरमौजूदगी हमेशा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए फेमिनिज़म इन इंडिया हिंदी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी टीम के अलावा कई लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

लैंगिक हिंसा पर संवेदनशील रिपोर्टिंग की एक रूपरेखा तैयार करती यह रिपोर्ट संभव हुई है वीमंस फंड्स एशिया (WFA) की मदद से। साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं का जिनकी सालाना रिपोर्ट्स और आंकड़ों के बिना यह रिपोर्ट संभव नहीं थी।

इस रिपोर्ट को अपने मुकाम तक पहुंचाने में विभूति पटेल, नीरज कुमार, ज्योत्सना सिद्धार्थ, मीरा देवी जैसे लोगों के बेहद ज़रूरी विचारों ने एक अहम भूमिका अदा की है।



इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य क्या है?

लैंगिक हिंसा के प्रति रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने में मीडिया की कवरेज की हिस्सेदारी बेहद अहम है। लैंगिक हिंसा को खत्म करने के लिए सर्वाइवर्स की आवाज़ को आगे बढ़ाना, उनके न्याय के लिए वकालत करना, उनकी जातिगत, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि पहचान को केंद्र में रखते हुए, उनके साथ हुई हिंसा को कवर करना मीडिया की ज़िम्मेदारी है। मीडिया लोगों की सोच को प्रभावित करने का एक सशक्त माध्यम है। ऐसे में मीडिया संवेदनशीलता और समावेशी नज़िरये को केंद्र में रखकर लैंगिक हिंसा की कवरेज के ज़िरये यह तय कर सकता है कि यह कितना अहम मुद्दा है।

हालांकि, जब हम लैंगिक हिंसा के संदर्भ में भारतीय मीडिया, ख़ासकर मेनस्ट्रीम मीडिया की कवरेज देखते हैं तो उनकी कवरेज में हमें रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक सोच की झलक दिखाई देती है। ऐसे में लैंगिक हिंसा को खत्म करने, इसके प्रति लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने में मीडिया जितनी अहम भूमिका निभा सकता है, वैसा होता नज़र नहीं आता।

लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा आदि से जुड़ी ख़बरें तो हमें मीडिया में रोज़ाना देखने और पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन इन ख़बरों को किस तरह से कवर किया जा रहा है, लिखा जा रहा है इसे देखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। अफ़सोस कि लैंगिक हिंसा से जुड़ी अधिकतर ख़बरों में असंवेदनशीलता और पूर्वाग्रह केंद्र में होते हैं। मीडिया इन ख़बरों को एक सामाजिक मुद्दा न मानते हुए, एक आम ख़बर की तरह पेश करता है। मीडिया की यह कवरेज समाज की उसी पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती है, जो बताती है कि लैंगिक हिंसा के लिए सर्वाइवर्स ही ज़िम्मेदार होते हैं।

कवरेज के दौरान मीडिया इस बात को परे रख देता है कि लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स समाज में किस तरह के व्यवहार का सामना करते हैं। मीडिया की यह कवरेज कैसे हिंसा के बाद सर्वाइवर्स की चुनौतियों को बढ़ा सकती है।

मीडिया के लिए यह समझना भी बेहद ज़रूरी है कि यह असंवेदनशील कवरेज भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से सर्वाइवर्स अपने साथ हुई हिंसा के बारे में मीडिया के सामने बात करने से बचते हैं।

इसलिए फेमिनिज़म इन इंडिया (हिंदी) एक ऐसी टूलिकट लेकर आया है जो लैंगिक हिंसा की मीडिया कवरेज को संवेदनशील और समावेशी बनाने की ओर एक प्रयास है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि इसका इस्तेमाल कर मीडिया लैंगिक हिंसा के मुद्दे को बिना किसी पूर्वाग्रह के, संवेदनशीलता के साथ कवर कर सके। मीडिया लैंगिक हिंसा के मुद्दे पर जिस तरह की भाषा, हेडलाइंस, तस्वीरों आदि का इस्तेमाल करता आ रहा है, वे क्यों असंवेदनशील हैं, कैसे वे लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स के प्रति एक रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सब बातों पर विचार किया जाए।

शोध की विधि

इस टूलिकट को तैयार करने से पहले हमने हिंदी मेनस्ट्रीम मीडिया की तीन प्रमुख वेबसाइट्स और तीन प्रमुख अख़बारों की ख़बरों का विश्लेषण किया। इस दौरान हमने अप्रैल 2022 से जून 2022 तक इन तीन वेबसाइट्स और अख़बारों की लैंगिक हिंसा पर आधारित ख़बरों का विश्लेषण किया। इसमें इन तीन वेबसाइट्स की 145 ख़बरें और अख़बारों की 360 ख़बरें शामिल थीं।

लैंगिक हिंसा से जुड़ी इन 505 ख़बरों का विश्लेषण हमने मुख्य रूप से भाषा, ख़बर में इस्तेमाल की गई तस्वीर, शीर्षक, लैंगिक हिंसा को लेकर मीडिया की पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच आदि के आधार पर किया। इस टूलिकट को तैयार करने के दौरान निम्नलिखित मुख्य सवालों को केंद्र में रखा गया:

- **लैंगिक** हिंसा की ख़बरों में मीडिया की भाषा कितनी संवेदनशील है, मीडिया कैसी तस्वीरों का इस्तेमाल इन ख़बरों में कर रहा है?
- **लैंगिक** हिंसा को क्या हिंदी मीडिया समावेशी नज़रिये से देखता है, अगर नहीं तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है?
- **पूर्वाग्रह** से ग्रसित लैंगिक हिंसा पर मीडिया की कवरेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है?

शोध में शामिल मीडिया वेबसाइट्स और अख़बार

रिसर्च में शामिल वेबसाइट्स

- दैनिक जागरण
- नवभारत टाइम्स
- > दैनिक भास्कर

रिसर्च में शामिल अख़बार

- ≽ राष्ट्रीय सहारा
- ≽ अमर उजाला
- 🔈 राजस्थान पत्रिका

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

📶 मीडिया की असंवेदनशील भाषा:

ज्यादातर ख़बरों में (वेबसाइट्स और अख़बार दोंनो में ही) असंवेदनशील और सनसनीखेज़ भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आज भी मीडिया बलात्कार की जगह आबरू/इज़्जत का लुटना, गंदा काम, दुष्कर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अधिकतर ख़बरों में लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर को केंद्र में रखा गया था। ख़बरों में इस बात को विस्तार से बताया गया कि सर्वाइवर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। आरोपी/दोषी की भूमिका को सर्वाइवर के मुकाबले बेहद कम महत्व दिया गया।

घटना की गंभीरता को कम करना:

लैंगिक हिंसा, ख़ासकर ऐसिड अटैक से जुड़ी ख़बरों में सिरिफरे आशिक, एकतरफा प्यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लैंगिक व यौन हिंसा की घटना की गंभीरता को कम किया गया। घर में होनेवाली हिंसा, रिश्तेदारों और जानकारों के द्वारा की जानेवाली हिंसा के संदर्भ में भी मीडिया का यही रवैया देखने को मिलता है।

लैंगिक हिंसा की ख़बरों में इस्तेमाल की जानेवाली तस्वीरें:

ख़बरों में ज्यादातर ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था जिसमें सर्वाइवर कमज़ोर और असहाय नज़र आ रहे थे। इन ख़बरों में सर्वाइवर को मुंह छिपाते, दोषियों को उस पर हावी होते, उसके साथ हिंसा करते, उसके कपड़े खींचते जैसी तस्वीरों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है। रिसर्च में शामिल तमाम खबरों में ऐसी ख़बर हमें बमुश्किल ही देखने को मिली जहां लैंगिक हिंसा की खबरों में विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें इस्तेमाल की गई हो।

लैंगिक हिंसा की कवरेज से गायब समावेशी नज़रिया:

ख़बरों में समावेशी नज़िरया बिल्कुल गायब दिखा। लैंगिक व यौन हिंसा की कवरेज में जाति, धर्म, विकलांगता, यौनिकता आदि मुद्दे बिल्कुल नज़र नहीं आए। लैंगिक हिंसा के मामले में सर्वाइवर की जातिगत पहचान क्यों मायने रखती है, वे किस इलाके, किस समुदाय या जाति, वर्ग से आते हैं इसका कहीं कोई ज़िक्र देखने को नहीं मिला। ज्यादातर ख़बरों में लैंगिक हिंसा/यौन हिंसा के मामलों को एक पृथक घटना के रूप में कवर किया गया। इसके पीछे की वजहों को चिन्हित नहीं किया गया।

लैंगिक हिंसा की कवरेज पर हावी विकटम ब्लेमिंग:

ख़बरों में विकिटम ब्लेमिंग का व्यवहार भी नज़र आया, जहां घटना का दोषी सर्वाइवर को ही माना गया। उदाहरण के तौर पर सर्वाइवर की वैवाहिक स्थिति, वह कहां जा रही थी, घटना कहां हुई आदि जानकारियों को ख़बर के केंद्र में रखा गया। हिंदी मीडिया की भाषा का मूल्याकंन करते हुई यह स्थिति साफ नज़र आई है जिसमें ख़बरों को इस तरह से दिखाया जाता है कि लैंगिक हिंसा की वजहों में कहीं न कहीं सर्वाइवर खुद भी शामिल थे।

लैंगिक हिंसा क्या है

लैंगिक हिंसा का मतलब हिंसा के उन रूपों से है जो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर, उसके निजी या सार्वजनिक जीवन में की जाती है। लैंगिक हिंसा में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन, आदि हिंसा के रूप शामिल हैं। लैंगिक हिंसा और इससे जुड़ी शर्मिंदगी और चुप्पी सर्वाइवर के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वायत्तता और गरिमा को प्रभावित करती है। इस हिंसा के पीछे लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक सोच सबसे बड़े कारक हैं।

लैंगिक हिंसा दुनिया के सबसे अधिक प्रचलित लेकिन सबसे कम दर्ज किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है।

> विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक़ दुनियाभर में हर तीन में से एक महिला ने कभी न कभी अपने जीवन में हिंसा का सामना ज़रूर किया होता है।

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में लैंगिक हिंसा को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है- "महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा में लैंगिक हिंसा का कोई भी रूप जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या उससे पीड़ित होने की संभावना है, इसमें निजी या सार्वजनिक जीवन में धमकी, जबरदस्ती, आज़ादी से वंचित किया जाना शामिल है।"

लैंगिक हिंसा के कई रूप होते हैं। साथ ही ये हिंसा केवल लड़िकयों और महिलाओं तक सीमित नहीं होती। इसमें घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, एसिड अटैक, बाल विवाह, दहेज के कारण होनेवाली हत्या, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या, जेंडर के आधार पर शिक्षा, रोज़गार के अधिकारों से वंचित करना, शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार न होना, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन (खतना) आदि शामिल हैं।

लैंगिक हिंसा भारत में महिलाओं के ख़िलाफ़ होनेवाली हिंसा का सबसे प्रचलित रूप है। इस बात की तस्दीक अलग-अलग रिपोर्ट्स और आंकड़े भी करते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि इस साल औरतों के ख़िलाफ़ बलात्कार के कुल 31,677 मामले दर्ज किए गए यानि हर दिन औसतन बलात्कार के 86 केस सामने आए। 96.5% बलात्कार के दर्ज मामलों में आरोपी सर्वाइवर को जानते थे।



लैंगिक हिंसा और समावेशी नज़रिया ज़रूरी क्यों

लैंगिक हिंसा के मुख्य कारणों में जेंडर एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जेंडर इकलौती वजह नहीं है जिसके कारण लोगों को लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। सभी के लिए लैंगिक हिंसा के अनुभव समान नहीं होते हैं। इसलिए लैंगिक हिंसा को समझने के लिए हमें जेंडर के साथ-साथ जाति, वर्ग, धर्म, यौनिकता, विकलांगता, भाषा, संघर्ष क्षेत्र, क्षेत्रीयता आदि पहलुओं की भूमिका को भी केंद्र में रखने की ज़रूरत है।

महिलाओं के ख़िलाफ़ होनेवाली हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की नैशनल ऐक्शन हैंडबुक (2012) यह सुझाव देती है कि हिंसा से जुड़े महिलाओं के अनुभवों में नस्ल, रंग, धर्म, राजनीति, यौनिकता, उम्र, विकलांगता, संपत्ति, वैवाहिक स्थिति, एड्स का मरीज़ होना, शरणार्थी होना आदि पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए लैंगिक हिंसा के प्रति समावेशी नज़रिया, समावेशी नीतियों, कानून आदि के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इंटरसेक्शनैलिटी शब्द को नारीवादी प्रोफेसर किंबरले क्रेनशॉ ने साल 1989 में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल यह परिभाषित करने के लिए किया था कि कैसे नस्ल, वर्ग, लिंग और अन्य कारक गैरबराबरी को समझने के लिए ज़रूरी हैं। प्रोफेसर क्रेनशॉ के मुताबिक कैसे गैरबराबरी के अलग-अलग रूप एक साथ काम करते हैं और एक-दूसरे को और अधिक गंभीर बनाते हैं, इसे समझने के लिए समावेशी नारीवाद एक प्रिज़्म के रूप में काम करता है।

अलग-अलग तरह की गैरबराबरी और शोषण एक साथ हो सकते हैं, इसे समझने के लिए लैंगिक हिंसा के प्रति समावेशी नज़रिया बेहद ज़रूरी है। जाति, धर्म, लैंगिक पहचान, विकलांगता, यौनिकता, वर्ग आदि के आधार पर एक बड़ी आबादी को हाशिये पर रखा गया है।

जेंडर के साथ-साथ उनकी अन्य पहचान भी उन्हें लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

उदाहरण के तौर पर सवर्ण जाति या सिसजेंडर महिलाओं के मुकाबले दलित-बहुजन समुदाय की महिलाएं, ट्रांस महिलाएं, विकलांग महिलाएं लैंगिक हिंसा का अधिक सामना करती हैं। इस तरह समावेशी नज़िरया लोगों के शोषण और हिंसा के अलग-अलग अनुभवों की पहचान सुनिश्चित करता है। समावेशी नज़िरये के बिना गैर-बराबरी और शोषण को हमेशा के लिए खत्म करना मुमिकन नहीं है।



लैंगिक हिंसा और हिंदी मीडिया की पूर्वाग्रह से ग्रसित कवरेज

जाति

लैंगिक और यौन हिंसा से जुड़े मामलों में यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि क्या सर्वाइवर की जातिगत पहचान का ज़िक्र करना ज़रूरी है। इस सवाल के जवाब में यही तर्क हर बार दिया जाता है कि हिंसा की सर्वाइवर की पहचान सिर्फ एक महिला के तौर पर होनी चाहिए। यहां उसकी जाति, धर्म, यौनिकता, क्षेत्रीयता, विकलांगता आदि मायने नहीं रखती। उदाहरण के तौर पर साल 2020 में 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में हुई घटना के बाद बार-बार यह सवाल उठाया गया कि क्या सर्वाइवर की जाति का ज़िक्र करना ज़रूरी है? हालांकि, इस मामले में यह सवाल नहीं पूछा गया कि अगर सर्वाइवर की जातिगत पहचान मायने नहीं रखती थी तो क्यों घटना के बाद आरोपियों के पक्ष में तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा महापंचायत की गई थी।



हाथरस मामले पर नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट के शीर्षक को देखिए, यहां कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं- "पीड़िता से रेप का सामने आया सच।" यहां शीर्षक में सीधे तौर पर यह लिखा जा सकता था- "हाथरस केस: अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने दाखिल की फाइनल रिपोर्ट।" इस शीर्ष में "रेप का सामने आया सच" जैसे शब्दों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इस अहम रिपोर्ट में ऐसे शब्द 'सस्पेंस' का माहौल बना रहे हैं। यहां सर्वाइवर की मौत हो चुकी है,

उसे भी अप्रत्यक्ष रूप से विक्टिम ब्लेमिंग के कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि, ख़बर के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर एक असंवेदनशील शीर्षक का इस्तेमाल उस पूर्वाग्रह से ग्रसित नज़र आता है, जिसके मुताबिक मीडिया के लिए लैंगिक हिंसा से जुड़ी खबरों की कवरेज बिना 'सनसनी' के अधूरी हैं।

फरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यह कहा गया था

बयान के बाद पीड़िता के सैंपल फरेंसिक साइंस लैब आगरा भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार ने 1 अक्टूबर को दावा किया था कि हाथरस में 19 साल की दिलत लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। अधिकारी का कहना था कि फरेंसिक रिपोर्ट ने लड़की के सैंपल में स्पर्म नहीं पाया है। दरअसल आगरा की एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में सीमन न मिलने की बात कही थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर एडीजी ने बयान दिया था।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

ख़बर के आखिरी पैरा में सिर्फ एक जगह सर्वाइवर की जातिगत पहचान का ज़िक्र किया गया है। लैंगिक हिंसा के मामलों में सर्वाइवर की लैंगिक पहचान के साथ-साथ जातिगत पहचान का ज़िक्र होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दलित महिलाओं के साथ हिंसा सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि वे महिलाएं हैं बल्कि उनके साथ होनेवाली हिंसा के मूल कारण में उनकी जातिगत पहचान भी होती है।



जाति आधारित लैंगिक हिंसा की एक घटना के लिए फेमिनिज़म इन इंडिया द्वारा इस्तेमाल की गई इस हेडलाइन को देखिए जहां हिंसा के मूल कारण जातिवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को केंद्र में रखा गया है।

स्वाभिमान सोसाइटी और इक्वैलिटी नाउ की एक रिपोर्ट बताती है कि तथाकथित दबंग जातियों द्वारा दिलत महिलाओं और लड़िकयों के दमन के लिए यौन हिंसा की जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के भी अनुसार हाशिये के समुदाय से संबंध रखने वाली यौन हिंसा की सर्वाइवर्स को न्याय पाने में बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है।

दिलत महिलाओं के साथ होनेवाली हिंसा के आरोपियों की जब जातिगत पहचान का विश्लेषण किया जाता है तो यह बात और पुख्ता होती है, जहां तथाकथित ऊंची जाति से आनेवाले आरोपियों की जातिगत पहचान का ज़िक्र बिल्कुल नहीं किया जाता। लैंगिक हिंसा की कवरेज में मेनस्ट्रीम मीडिया हमेशा सर्वाइवर की जातिगत पहचान के इस पहलू को नज़रअंदाज़ करता है।



ज्योत्सना सिद्धार्थ, कंट्री हेड, जेंडर एट वर्क इंडिया

अपने काम और सोशल मीडिया के ज़िरये मैं लगातार इस बात पर ज़ोर डालती रही हूं कि दिलत और आदिवासी मिहलाओं की तस्वीरों को साझा करते वक्त लोग एक कुटील आनंद का अनुभव करते हैं। मीडिया यौन हिंसा और जाित आधािरत हिंसा के बीच कोई फर्क नहीं समझता जबिक दोंनो ही बेहद गंभीर अपराध हैं जो मानवािधकार और सहमित का हनन करते हैं। जब यौन हिंसा दिलत और आदिवासी महिलाओं के साथ होती है तो वह उनके ऊपर हिंसा की एक और परत के रूप में काम करती है। लेकिन इसे एक यौन हिंसा के मामले के रूप में ही देखा जाता है जबिक यह एक जाित आधािरत हिंसा भी है। 90% मेनस्ट्रीम मीडिया पर तथाकिथत ऊंची जाित और हेट्रोसेक्सुअल लोगों का वर्चस्व है, जो न इस अंतर को समझना चाहते हैं, न ही इसे ज़रूरी मानते हैं। हमारे सामने यौन हिंसा की सर्वाइवर्स दिलत और आदिवासी महिलाओं की तस्वीरें लगातार साझा की जाती हैं, जो उनके क्षत-विक्षत शरीर की तस्वीरों को साझा करके संवेदना हािसल करना चाहते हैं। कई मीडियाकिमियों और कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को लगातार कई सालों तक उठाए जाने के बावजूद कोई फर्क देखने को नहीं मिला।

हिंसा के बाद दलित सर्वाइवर्स न सिर्फ सामाजिक तौर पर बल्कि राजनीतिक, न्यायिक, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच तक में कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना केवल अपनी जातिगत पहचान के कारण करते हैं। उदाहरण के तौर पर भंवरी देवी के गैंगरेप के मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की थी, "उच्च जाति का कोई सदस्य निम्न जाति की महिला से पवित्रता के कारण बलात्कार नहीं कर सकता।" ऐसी ही एक टिप्पणी बिलिकस बानो के गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के बाद भी बीजेपी विधायक सीके राउलजी ने की। जहां उन्होंने कहा था, "क्राइम किया है कि नहीं किया है हमें पता नहीं है। ब्राह्मण लोग थे वैसे भी ब्राह्मण का जो कुछ भी है उसका संस्कार अच्छा है। जेल में, जेल से पहले उनका व्यवहार अच्छा था।"

साल 2019 में दिलत महिलाओं के रेप के प्रतिदिन 10 रेप केस दर्ज किए गए। वहीं, साल 2015-2020 के बीच दिलत महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा में 45% की बढ़त देखी गई। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे लैंगिक हिंसा के मुद्दे को सर्वाइवर की जातिगत पहचान से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

हालांकि, रिसर्च के दौरान हमने पाया कि जाति के आधार पर होनेवाली लैंगिक हिंसा के मसले को रिसर्च में शामिल अख़बार और वेबसाइट्स दोंनो में ही बेहद कम रिपोर्ट किया जाता है। सर्वाइवर और दोषी की जातिगत पहचान को बेहद कम ख़बरों में वरीयता दी गई। तीन अख़बारों और तीन वेबसाइट्स की 500 से अधिक ख़बरों के विश्लेषण के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए लैंगिक हिंसा के मुद्दे के लिए जाति कोई अहम पहलू नहीं है।



ज्योत्सना सिद्धार्थ, कंट्री हेड, जेंडर एट वर्क इंडिया

मेरा मानना है कि बदलाव तभी आएगा जब हाशिये के समुदाय के लोगों को मेनस्ट्रीम मीडिया में रोज़गार और प्रतिनिधित्व मिलेगा। मीडिया के पितृसत्तात्मक व्यवहार को बदलने के लिए उसे जाति आधारित भेदभाव को बुनियादी स्तर पर चिन्हित करने की ज़रूरत है। मौजूदा वक्त में मेनस्ट्रीम मीडिया में नेतृत्व के पदों पर 90% तथाकथित ऊंची जाति और हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं, जहां महिलाओं, क्वीयर, ट्रांस, दिलत, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। परिणामस्वरूप हमें मीडिया की ब्राह्मणवादी, मर्दवादी, विभाजनकारी कार्यशैली देखने को मिलती है, जिसे समय-समय पर हाशिये की पहचान से आनेवाले लोग चुनौती देते रहते हैं। कार्यस्थल के इस ब्राह्मणवादी हेट्रोसेक्सुअल ढांचे को समावेशी समर्थन और काम के ज़रिये ही बदला जा सकता है।

यौनिकता

लैंगिक हिंसा की कवरेज को मीडिया द्वारा सिर्फ औरतों तक ही सीमित रखा जाता है। इस कवरेज में ट्रांस महिलाओं, LGBTQAI+ समुदाय से आने वाले लोगों के साथ होनेवाली हिंसा बिल्कुल शामिल नहीं होती है। उनके साथ होनेवाली हिंसा को हेट्रोसेक्सुअल महिलाओं/लोगों के साथ होनेवाली हिंसा के जितना गंभीर नहीं माना जाता। तभी तो हमारे देश में बलात्कार के ख़िलाफ़ मौजूद कानून में ट्रांस महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, ट्रांसजेंडर ऐक्ट 2019 के तहत भी ट्रांस समुदाय से आनेवाले लोगों के ख़िलाफ़ होनेवाले भावनात्मक, यौनिक, शारीरिक या मौखिक उत्पीड़न के लिए जुर्माने के साथ सिर्फ 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।



नवभारत टाइम्स में 1 सितंबर, 2022 को छपी इस ख़बर के शीर्षक को देखिए जहां एक ट्रांस महिला की हत्या कर दी गई। इस हत्या को इस तरह रिपोर्ट किया गया है जहां उस ट्रांस महिला के ट्रांस होने को हत्या के सबसे बड़े कारण के रूप में प्रमुखता से पेश किया गया है। यहां बताया गया है कि ट्रांस होने के कारण उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि हत्या करनेवाले ने उसे पहले एक

'लड़की' समझा था। यहां खबर लिखनेवाले को यह पता ही नहीं है कि ट्रांस महिलाएं भी महिलाएं ही होती हैं। साथ ही हत्या कैसे की गई इसे प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा हत्या की इस घटना में मृतक की तस्वीर को भी ब्लर नहीं किया गया। चूंकि मामला यहां एक ट्रांस महिला का था तो यह संवेदनशीलता भी नहीं दिखाई गई कि मृतक की तस्वीर इस तरह छापने पर उनका परिवार, उनके जाननेवाले किस तरह प्रभावित हो सकते हैं।



दैनिक भास्कर में छपी इस ख़बर के शीर्षक को देखिए। यहां भारत की पहली ट्रांस फोटो जर्निलस्ट जोया थॉमस लोबो के संघर्ष की कहानी दर्ज की गई है। लेकिन ख़बर के शीर्षक में उनकी उपलब्धियों को प्रमुखता देने की जगह उनके साथ हुई हिंसा को सनसनीखेज़ और असंवेदनशील तरीके से पेश किया गया है। जबकि शीर्षक में उनकी उपलब्धियों को केंद्र में रखकर एक संवेदनशील हेडलाइन लिखी जा सकती थी।



फेमिनिज़म इन इंडिया द्वारा इसी प्रोफाइल के लिए एक ऐसे शीर्षक का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ ज़ोया थॉमस लोबो के पेशे के बारे में बताता है। इस रिपोर्ट में भी उनके संघर्षों को दर्ज किया गया है लेकिन आज उनकी पहचान जो एक फोटो जर्निलस्ट के रूप में है, इस बिंदु को प्रमुखता दी गई है। उनके साथ हुई हिंसा के लिए सनसनीखेज़ भाषा का इस्तेमाल करना यह दर्शाता है कि मीडिया के लिए उनकी कहानी से अधिक यह सनसनी महत्वपूर्ण है।



नीरज कुमार, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता

लैंगिक हिंसा, जाति और यौनिकता के मुद्दे पर होनेवाली कवरेज, महिलाओं को ही ध्यान में रखकर की जाती है। लैंगिक हिंसा जिसे वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिली हुई है वह सिसजेंडर-हेट्रोसेक्सुअल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। रिपोर्टिंग के दौरान किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाने चाहिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही मुझे लगता है कि इसमें ख़बर लिखनेवाले का राजनीतिक हस्तक्षेप भी मायने रखता है। वह एक विविध पोर्टफोलियो तो बनाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उनके पास उचित संसाधन नहीं होते हैं। साथ ही लैंगिक हिंसा से जुड़ी खबर लिखनेवालों को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के मुद्दे को चिन्हित करना चाहिए बजाय सर्वाइवर्स की पहचान आधारित असंवेदनशील शीर्षक लिखने के। हमें ज़रूरत है क्वीयर और ट्रांस समुदाय के ख़िलाफ़ होनेवाली हिंसा से जुड़े राष्ट्रीय आंकड़ों की। मीडिया संस्थानों को इस मुद्दे पर अलग से कवरेज करनी चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल मुमिकन है। इसके लिए बस राजनीतिक चाहत और प्रतिबद्धता की ज़रूरत है।

रिसर्च के दौरान हमने पाया कि ट्रांस समुदाय से आनेवाले लोगों के साथ होनेवाली हिंसा की ख़बरों में मीडिया के लिए उनका ट्रांस होना एक आश्चर्यजनक पहलू होता है, इसे ऐसे रिपोर्ट किया जाता है जैसे ट्रांस व्यक्तियों के साथ कैसे लैंगिक हिंसा हो सकती है। विशेषतौर पर ट्रांस महिलाओं से जुड़ी ख़बरों में किन्नर शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। मीडिया ट्रांस समुदाय से आनेवाले सभी लोगों को 'किन्नर' के रूप में ही परिभाषित करता है बिना यह जाने कि हमारे समाज में कितने अलग-अलग लैंगिक पहचान मौजूद हैं। मीडिया के पास इन ख़बरों को रिपोर्ट करने की शब्दावली की कमी नज़र आती है। साथ ही क्वीयर समुदाय के साथ होनेवाली हिंसा की ख़बरों में बलात्कार के लिए अक्सर 'अप्राकृतिक' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

विकलांगता

लैंगिक हिंसा की ख़बरों में विकलांग लोगों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा की कवरेज नाममात्र ही देखने को मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि विकलांग लोगों के साथ लैंगिक हिंसा नहीं होती है। उनके साथ हिंसा बिल्कुल होती है और उनका संघर्ष भी अन्य सर्वाइवर्स के मुकाबले अधिक होता है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत विकलांग महिलाएं अपने जीवन में लैंगिक हिंसा का सामना करती हैं।

अन्य महिलाओं के मुकाबले विकलांग महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटना होने की चार गुना अधिक संभावना होती है।

ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विकलांग महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा होने की अधिक संभावना बनी रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुंच भी बहुत सीमित होती है।

अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने से लेकर, मेडिकल सुविधा और अदालत की प्रक्रियाओं के दौरान उन्हें अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके भारतीय मीडिया में विकलांग महिलाओं के ख़िलाफ़ होनेवाली लैंगिक हिंसा की कवरेज बहुत ही सीमित है। विकलांग महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों पर हिंदी मीडिया की प्रस्तुति केवल हिंसा की घटना तक ही सीमित है।

इस रिपोर्ट के लिए की गई रिसर्च के दौरान हमने तीन हिंदी वेबसाइट्स और तीन अख़बारों की कुल 505 ख़बरों का विश्लेषण किया। इस संख्या में विकलांग महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार और यौन हिंसा की मात्र सात ख़बरें सामने आई। यह संख्या दिखाती है कि हिंदी मीडिया में विकलांग महिलाओं के साथ होनेवाली हिंसा की घटना को कितना कवर किया जाता है। उनके साथ हुए अपराध की रिपोर्टिंग न के बराबर है।

वहीं सात ख़बरों में से छह शहरी क्षेत्र की मिली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की केवल एक ख़बर सामने आई है।

> संयुक्त राष्ट्र की वायलेंस अगेस्ट वीमन एंड गर्ल विद डिसबिलटी के नाम से जारी फैक्ट शीट के आंकड़ों के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 65 से 70 फीसदी विकलांग महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं।

विकलांग महिलाओं के साथ हिंसा की घटना के कवरेज और उसके सामने आने का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट में शामिल सात ख़बरों में से एक घटना होने के लगभग 20 दिन बाद सामने आई है। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे देश में विकलांग महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा की पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने में भी समय लगता है।

चार माह की गर्भवती होने के बाद पता चला कि बेटी से दो लोगों ने किया था दुष्कर्म

का प्रयास करने की जानकारी मिलते को गिरफ्तार कर लिया।

से दो लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को थी। कुछ दिन से उसकी तबीयत अंजाम दिया। स्वास्थ्य खराब होने खराब चल रही थी। इस बीच पर परिजनों को बेटी के गर्भवती होने परिजनों को पता चला कि वह चार का पता चला। बच्ची के अबॉर्शन माह की गर्भवती हैं। परिजन 4 दिन पहले एक अस्पताल में उसे अबॉर्शन ही गौरवी संस्था की सूचना पर के लिए लेकर पहुंचे थे, मामले की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों जानकारी मिलते ही गौरवी और चाइल्ड लाइन ने परिजनों से संपर्क पुलिस के मुताबिक 16 वर्षीय किया। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। पीड़िता द्वारा बताए अनुसार मोहल्ले बच्ची के माता-पिता मेहनत-मजदूरी में रहने वाले 62 वर्ष के ऑटो

चार दिन पहले एक मानसिक विक्षिप्त बालिका से दो लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। बालिका के बयान दर्ज कर दष्कर्म करने वाले दोनों अरोपियों को

अभिनव विश्वकर्मा, एसीपी, जहांगीराबाद संभाग

दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के संज्ञान में मामला चार दिन पहले आ गया था, करते हैं। बालिका आए दिन घर से चालक और 19 साल के युवक को जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है।

स्रोत: राजस्थान पत्रिका

राजस्थान पत्रिका के 10 मई के भोपाल संस्करण में 16 साल की मानसिक तौर पर विकलांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना है। ख़बर कहती है कि लड़की के माता-पिता की गैर-मौजूदगी में बालिका आए दिन बिना बताए घर से बाहर चली जाती है। कुछ दिन से तबीयत खराब होने के बाद

परिजनों को पता चला कि वह चार माह की गर्भवती है। अबॉर्शन कराने के लिए अस्पताल जाने के बाद घटना सामने आई। काउंसलिंग के बाद सर्वाइवर के द्वारा बताए लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 'चार महीने की गर्भवती विकलांग बच्ची', 'आए दिन बिना बताए घर से बाहर', जैसे वाक्यों पर जोर देने वाली हिंदी मीडिया की भाषा में संवेदनशीलता की कमी साफ नज़र आती है।

बलात्कार और हिंसा की ख़बरों को प्रस्तुत करते हुए मीडिया की ख़बरों से कानूनी पक्ष हमेशा गायब दिखता है। हिंदी मीडिया, यौन हिंसा की घटनाओं में पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, मेडिकल सुविधाएं, न्याय के लिए विकलांग लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये पहलू रिपोर्टिंग में पूरी तरह गायब नज़र आते हैं। इन ख़बरों में अक्सर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को एक असहाय के रूप में दिखाया जाता है। साथ ही 'मंदबुद्धि, मानसिक विक्षिप्त' जैसे शब्दों का इस्तेमाल विकलांग सर्वाइवर्स से जुड़ी खबरों में सबसे अधिक किया जाता है।

सड़क पार कराने के बहाने दृष्टिबाधित युवती से दुष्कर्म

स्रोत: अमर उजाला

रिसर्च में शामिल इन ख़बरों में से अमर उजाला के दिल्ली संस्करण की तीन जून की विकलांग महिला के साथ हुई लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बर की प्रस्तुति का विश्लेषण करते हुए कवरेज में यह पूर्वाग्रह नज़र आया कि महिला के साथ जो हिंसा हुई उसकी वजह वह खुद है। अख़बार ने इस ख़बर की हेडलाइन कुछ इस तरह लिखी- सड़क पार करवाने के बहाने दृष्टिबाधित युवती से दुष्कर्म। इस ख़बर के लिए हेडलाइन में 'युवक ने दृष्टिबाधित युवती के साथ किया बलात्कार' इस्तेमाल किया जा सकता था। सड़क पार करवाने के बहाने की बात को लिखकर यहां इस संदर्भ को भी जताया जा रहा है कि महिला ने किसी अंजान शख्स से मदद लेना स्वीकार ही क्यों किया था।

चार माह की गर्भवती होने के बाद पता चला कि बेटी से दो लोगों ने किया था दुष्कर्म

भोपाल. मानसिक विक्षिप्त किशोरी से दो लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। स्वास्थ्य खराब होने पर परिजनों को बेटी के गर्भवती होने का पता चला। बच्ची के अबॉर्शन का प्रयास करने की जानकारी मिलते ही गौरवी संस्था की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक 16 वर्षीय बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बच्ची के माता-पिता मेहनत-मजदूरी करते हैं। बालिका आए दिन घर से विना बताए मोहल्ले में चली जाती थी। कुछ दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। इस बीच परिजनों को पता चला कि वह चार माह की गर्भवती हैं। परिजन 4 दिन पहले एक अस्पताल में उसे अबॉर्जन के लिए लेकर पहुंचे थे, मामले की जानकारी मिलते ही गौरवी और चाइल्ड लाइन ने परिजनों से संपर्क किया। काउंसलिंग के बाद पुलिस ने पीड़िता द्वारा बताए अनुसार मोहल्ले में रहने वाले 62 वर्ष के ऑटो चालक और 19 साल के खुवक को चार दिन पहले एक मानसिक विक्षिप्त बालिका से दो लोगों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। बालिका के बयान दर्ज कर दुष्कर्म करने वाले दोनों अरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

अभिनव विश्वकर्मा, एसीपी, जहांगीराबाद संभाग

दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के संज्ञान में मामला चार दिन पहले आ गया था, जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।

स्रोत: राजस्थान पत्रिका

राजस्थान पत्रिका की इस हेडलाइन को इस्तेमाल करने की पहली वजह यह नज़र आती है कि सनसनीखेज़ शब्दों का इस्तेमाल कर यह ख़बर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हो सके। इस खबर के लिए आसानी से इस हेडलाइन का इस्तेमाल किया जा सकता था- "दो लोगों ने नाबालिंग का किया बलात्कार।" ख़बर के अंदर मानसिक रूप से विक्षिप्त की जगह मानसिक बीमारी से पीड़ित, मानसिक बीमारी का सामना कर रही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था।

विकलांग लोगों के साथ होने वाली हिंसा से जुड़ी ख़बरों की हेडलाइंस पूरी तरह से अंसवेदनशील नज़र आती हैं जिसमें विकलांग शब्द का इस्तेमाल सनसनी और एक आश्चर्यजनक पहलू की तरह पेश किया जाता है। यह नज़िरया पेश करने की कोशिश की जाती है कि विकलांग लोगों के साथ कैसे हिंसा हो सकती है।

विकलांग लोगों के साथ होने वाली किसी भी तरह की यौन हिंसा के लिए ख़बर आधारित ही नहीं बिल्क एक मुद्दे आधारित कवरेज की भी बहुत आवश्यकता है। हिंसा की रिपोर्टिंग बिना किसी नैतिकता, भावनात्मक और सहानुभूति से अलग संवेदशीलता और तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए।

साथ ही लैंगिक हिंसा की घटनाओं के बाद विकलांग सर्वाइवर्स को न्याय पाने की प्रक्रिया में मिलनेवाली चुनौतियों, उनके लिए मौजूद संसाधनों आदि मुद्दों को कवर कर, मीडिया इसकी गंभीरता को दिखा सकता है।



धर्म

रिसर्च के दौरान हमें सर्वाइवर की धार्मिक पहचान के कारण होनेवाली लैंगिक हिंसा की ख़बरें बिल्कुल ही नहीं दिखीं। हां लेकिन इस आधार पर कवरेज का एक अलग रुख़ रिसर्च में शामिल ख़बरों का ज़रूर नज़र आया। लैंगिक हिंसा के मामलों में अल्पसंख्यक वर्ग से आनेवाले आरोपियों/ दोषियों के धर्म को ख़बरों और शीर्षक में प्रमुखता दी गई थी। साथ ही इन ख़बरों में 'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल भी बहुत किया गया।

सहारनपुर: जंगल से चारा लेने गई किशोरी से मुस्लिम युवक ने तमंचे के बल पर किया दुष्कर्म

स्रोत: दैनिक जागरण

दैनिक जागरण में छपी इस ख़बर के शीर्षक को देखिए जहां जिसने अपराध किया है उसके धर्म को रेखांकित किया गया है। यह हमें उन ख़बरों में देखने को नहीं महिला जहां अपराध तथाकथित उच्च जाति या बहुसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा किया गया हो।

हिन्दू युवती ने लव जेहाद कानून व दुष्कर्म की धाराओं में मुस्लिम पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला

अक्सर होता था झगड़ा

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता की शहंशाह से टेलीफोन से बात होती रहती थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गयी और शादी करके दोनों थाना विशेश्वरगंज अंतर्गत ग्राम सरकाही में करीब तीन माह पूर्व आकर रहने लगे। बाद में दोनों के बीच लड़ाई इगड़ा होने लगा जिसकी शिकायत थाने तक आती थी व दोनों आपस में सुलह करके वापस चले जाते थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंगलवार को उपरोक्त युवती ने युवक पर नए आरोप लगाए हैं। एएसपी के अनुसार, प्रथम दृष्ट्या लब जेहाद का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। सिंह ने बताया कि पंजीकृत अभियोग के आधार पर आरोपी पित को पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया है।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

एनबीटी में छपी इस ख़बर के शीर्षक में सर्वाइवर और आरोपी दोंनो के धर्म को रेखांकित किया है। साथ ही बताया है कि केस लव जिहाद और रेप की धाराओं के तहत दर्ज करवाया गया है। हालांकि ख़बर के अंदर पुलिस के बयान के मुताबिक़ लव जिहाद का मामला संदिग्ध है। ऐसे में ख़बर का शीर्षक और ख़बर दो अलग-अलग दावे कर रहे हैं।

उम्र/नाबालिग के साथ हिंसा

लैंगिक या यौन हिंसा के सर्वाइवर हर उम्र के लोग होते हैं। लेकिन जब यह हिंसा किसी बुजुर्ग या छोटी उम्र की बच्चों या नाबालिगों के साथ होती है तो यहां मीडिया की कवरेज का तरीका बदल जाता है। ख़ासकर नाबालिगों के साथ होनेवाली हिंसा की ख़बरों की कवरेज में भी असंवेदनशीलता का परिचय दिया जाता है। यहां सर्वाइवर की उम्र को ध्यान में रखे बिना उनके साथ हुई हिंसा की ख़बरों को लिखा जाता है।

Fatehpur Crrime News: आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म, 14 साल की उम्र में बच्चे को दिया जन्म, जानिए क्या है पूरा मामला

स्रोत: नवभारत टाइम्स

एनबीटी में छपी इस ख़बर के शीर्षक में नाबालिंग की उम्र के साथ-साथ वह किस क्लास में पढ़ती है, उसने एक बच्चे को

भी जन्म दिया है, ये सारी जानकारियां दे दी गई हैं। इन्हें प्रमुखता दिए जाने की जगह अपराध करनेवाले ने क्या किया इसे रेखांकित किया जाना चाहिए था। इस शीर्षक को आसानी से ऐसे लिखा जा सकता था- "युवक ने किया नाबालिंग का बलात्कार, सर्वाइवर ने दिया बच्चे को जन्म।" साथ ही खबर में इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए था कि नाबालिंग सर्वाइवर इस दौरान किन चुनौतियों से गुज़री।

मऊ में पांच साल की बच्ची संग दुष्कर्म का आरोपित जज से बोला -'कम सजा देना, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे'

स्रोत: दैनिक जागरण

इस ख़बर में नाबालिग बच्चे के रेप के आरोपी के प्रति शीर्षक के ज़िरए एक सहानूभूति पैदा करने की कोशिश की गई है। यहां यह तुलना बिठाने की कोशिश की गई है कि जिसने अपराध किया है उसके भी बच्चे हैं। यह शीर्षक नाबालिग के साथ हुई हिंसा की गंभीरता को कम करता है।

नाबालिंग के साथ लैंगिक हिंसा के मामलों में उनकी उम्र को प्रमुखता देने की जगह नाबालिंग शब्द का इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प होता है।

क्षेत्रीयता

भारतीय मीडिया में क्षेत्र के आधार पर कवरेज में अंतर को बड़े स्तर पर देखा जाता है। हिंदी मीडिया में लैंगिक हिंसा की ख़बरों का अध्ययन करते समय देखा गया कि यह अंतर और बड़ा हो जाता है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले गांव और कस्बों में होनेवाली लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों की संख्या बहुत कम हो जाती है। रिसर्च में शामिल हिंदी के तीनों अख़बारों के जिन-जिन संस्करणों की ख़बरों का विश्लेषण हमने किया है उनमें यह अंतर मिला है।

लैंगिक हिंसा के मुद्दे पर किस तरह क्षेत्रीयता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हम ख़बर लहरिया की इस रिपोर्ट के इस अंश को देखकर समझ सकते हैं।



एक ग्रामीण नारीवादी चैनल होने के नाते हमारी खबरें छोटे कस्बों और गाँवों से निकलकर आती हैं इसलिए हम यह तो कह सकते हैं कि जो ज़मीनी मामले हैं, उनमें से अधिकतर तो अधिकारीयों के कानों तक भी नहीं पहुँचती हैं और कुछ को तो अनसुना कर दिया जाता है। फिर सरकार और चुनावी नेता वादों का ढकोसला बांधे हुए, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण इत्यादि अभियान चलाते हैं और कागज़ों में मनगढ़त रिकॉर्ड भरकर और सजाकर जनता को पेश कर देते हैं।

अगर यूपी की बात करें तो ऐसा लगता है कि यूपी बलात्कार के मामलों का गढ़ बन चुका हैं। राज्य में हुए हाथरस, लखीमपुर खीरी मामला और उन्नाव केस, कुछ ऐसे मामले थे जिसे देशव्यापी कवरेज मिली। जिसमें यह दिखा कि किस तरह से पुलिस ने सबूतों को जला दिया, वह किस तरह से पीड़िता के परिवार वालों को बचाने में नाकमयाब रही। लोगों में घटना को लेकर रोष होने के बावजूद भी आरोपियों को सज़ा दिलाने में सालों लग गए। इन सब चीज़ों के बाद यूपी सरकार कहती है, "हम महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं।" अब यह जुमला नहीं तो क्या है?

स्रोत: खबर लहरिया

हमारी रिसर्च में शामिल अख़बार अमर उजाला में अप्रैल के महीने में लैंगिक आधारित हिंसा की हमनें 63 ख़बरों का विश्लेषण किया जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र से केवल 17 ख़बर दर्ज की गई हैं। इसी अख़बार में मई में लैंगिक हिंसा की ख़बरों के विश्लेषण के दौरान कुल 51 ख़बरों में से ग्रामीण क्षेत्र की केवल 13 ख़बरें हमें मिली। जून के महीने में अमर उजाला में 45 ख़बरों में से केवल 9 ख़बरें ग्रामीण क्षेत्र से पाई गई।

रिसर्च में शामिल दूसरे हिंदी अख़बार राष्ट्रीय सहारा में क्षेत्र के आधार पर ख़बरों के विश्लेषण पर अप्रैल में कुल 54 महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध की ख़बरों में से 13 ग्रामीण क्षेत्र से दर्ज की गई। इसमें आगे मई में 54 ख़बरों के क्षेत्र के आधार पर विश्लेषण करने पर 22 ख़बरें गांव-देहात से दर्ज की गई। जून के माह में राष्ट्रीय सहारा की 61 लैंगिक हिंसा पर आधारित ख़बरों का विश्लेषण किया गया जिसमें 21 ख़बरें ग्रामीण क्षेत्र की मिली।

राजस्थान पत्रिका के रिसर्च में शामिल किए गए संस्करण में मई में 18 लैंगिक हिंसा आधारित ख़बरों का विश्लेषण किया गया जिसमें तीन ख़बर ग्रामीण क्षेत्र की है। जून में राजस्थान पत्रिका की 14 ख़बरों के विश्लेषण में केवल तीन ख़बर ग्रामीण क्षेत्र की मिली। क्षेत्रीयता के आधार पर लैंगिक हिंसा की कवरेज, इन क्षेत्रों से आनेवाले सर्वाइवर्स की न्याय की प्रक्रिया तक पहुंच, मेडिकल व अन्य सुविधाओं तक पहुंच कैसी है इस बात का विश्लेषण किया जाना भी बेहद ज़रूरी होता है।



मीरा देवी, मैनेजिंग एडिटर, खबर लहरिया

जब शहरों में लैंगिक हिंसा की घटनाएं होती हैं तो उन्हें मीडिया का कवरेज जिस स्तर पर मिलता है, वैसा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन लैंगिक हिंसा की कुछ घटनाओं को एक 'ब्रैंड' की तरह देखा जाता है और फिर हर बार उनका ही उदाहरण दिया जाता है। लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं लेकिन इनकी कवरेज इस स्तर पर नहीं होती है। मैं जिस जगह से आती हूं बुंदेलखंड से, वहां तो औरतें अपने साथ हुई हिंसा की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाती हैं। यहां सर्वाइवर्स पर ही दोष मढ़ दिया जाता है, उन्हें धमिकयां मिलती हैं, अगर केस दर्ज भी हो जाए तो वापस लेने का दबाव डाला जाता है। यहां सत्ता का बेहद प्रभाव है। यह फर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ़-साफ़ नज़र आता है। थोड़ा बदलाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है। हमने मुद्दा उठाया है कि मेनस्ट्रीम मीडिया कभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर नहीं करती। पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रामीण मुद्दों की कवरेज होनी चाहिए। यह बेहद ज़रूरी है। मैं यह बात पैनल्स, चर्चाओं, पत्रकारिता स्कूलों से लेकर हर जगह दोहराती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है।

लैंगिक हिंसा की कवरेज और हिंदी मीडिया की असंवेदनशील भाषा

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग के दौरान रिसर्च में शामिल मीडिया संस्थानों द्वारा सनसनीखेज़ भाषा, हेडलाइंस और तस्वीरों का इस्तेमाल सबसे अधिक देखने को मिला। साथ ही हमने यह भी पाया कि ज्यादातर ख़बरों में इस बिंदु को ही केंद्र में रखा गया था कि सर्वाइवर के साथ यह अपराध कैसे, कब और किन परिस्थितियों में हुआ न कि इस बिंदु को कि आरोपी/दोषी ने उनके साथ क्या किया। इन ख़बरों में लैंगिक हिंसा की घटनाओं का विश्लेषण जिस असंवेदनशीलता के साथ किया गया उससे पता चलता है कि इन मुद्दों पर मीडिया की रिपोर्टिंग कितने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों पर हिंदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं को केंद्र में पाया।


सनसनीखेज़ हेडलाइंस और भाषा का इस्तेमाल

लैंगिक/यौन हिंसा की ख़बरों की हेडलाइंस को सनसनीखेज़ बनाने की कोशिश रिसर्च में शामिल लगभग सभी मीडिया संस्थानों द्वारा की जाती है। ख़बरों की हेडलाइंस में भड़काऊ, सनसनीखेज़ शब्दों के इस्तेमाल के बिना भी लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों को रिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसी भाषा ख़बर के मूल उद्देश्य को भटकाती है। अपराध और हिंसा को एक सनसनीखेज़ वारदात के रूप में पेश करती है। ऐसा करना लैंगिक हिंसा के प्रति पाठकों की पितृसत्तात्मक सोच को और मज़बूती देता है।

पूर्वी चंपारण: एक माह में दूसरी बार सामूहिक दुष्कर्म, घर लौट रही युवती से चार युवकों ने किया मुंह काला

स्रोत: दैनिक जागरण

दैनिक जागरण (वेबसाइट) द्वारा लैंगिक हिंसा को रिपोर्ट करने के लिए 'मुंह काला' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द लैंगिक हिंसा के प्रति उसी रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच को मज़बूती देते हैं कि बलात्कार के बाद सर्वाइवर के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता। ऐसे शब्दों की जगह सीधे तौर पर बलात्कार शब्द का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है।



स्रोत: दैनिक जागरण

इस हेडलाइन में जिस तरीके से फेसबुक पर दोस्ती न करने को लेकर चेतावनी दी गई है उससे यही जताने की कोशिश की गई है कि चूंकि सर्वाइवर ने दोषी से फेसबुक पर दोस्ती की, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इस ख़बर की हेडलाइन ही सर्वाइवर को पहले कठघरे में खड़ा कर रही है, उससे सवाल पूछ रही है। इस ख़बर को पढ़नेवाले पाठकों को भी यही संदेश जाएगा कि अगर सर्वाइवर फेसबुक पर दोस्ती न करती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। इस हेडलाइन का इस्तेमाल कर घटना के पीछे की सारी वजह सर्वाइवर द्वारा फेसबुक इस्तेमाल करने तक सीमित कर दी गई।

लैंगिक हिंसा के मामलों में ऐसी हेडलाइंस के ज़िरये अक्सर सर्वाइवर के कपड़ों, उनके चिरत्र, अपराध के वक्त वे कहां, कब, किसके साथ थीं जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इससे यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि ऐसे 'लोगों' ऐसी 'महिलाओं' के साथ ऐसा ही होता है। इससे यह भी संदेश जाता है कि सर्वाइवर के साथ जो हुआ उसे वे 'डिज़र्व' करते थे। दूसरी महिलाओं के लिए इन घटनाओं को एक नज़ीर की तरह पेश किया जाता है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश भी की जाती है कि अगर महिलाएं ऐसी स्थित में खुद को डाले ही न तो उनके साथ कोई अपराध होगा ही नहीं।



"हिंदी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोंनो ही लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स के प्रति असंवेदनशीलता और सनसनी का परिचय देते हैं। मीडिया सर्वाइवर का नाम, उम्र, पेशा और पता लिखने से भी नहीं हिचिकचाता। कभी-कभी सर्वाइवर्स की तस्वीरों के साथ घटना का पूरा ब्यौरा दे दिया जाता है। सर्वाइवर्स ने क्या पहना था, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री, घटना के वक्त वे कहां थे जैसी बातों का ज़िक्र मीडिया रिपोर्ट्स में किया जाता है। इसका परिणाम हमें विक्टिम ब्लेमिंग के रूप में देखने को मिलता है, जो दोषियों का समर्थन करता है। साथ ही विक्टिम ब्लेमिंग की मानसिकता लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स को और अधिक अपमानित और भयभीत करने का काम करती है। हिंदी मीडिया का अधिकांश हिस्सा लैंगिक हिंसा को असंवेदनशीलता के साथ कवर करता है। इस कवरेज से समावेशी नज़रिया भी नदारद रहता है। वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेडियो टॉक, पैनल डिस्कशन आदि की मदद से लैंगिक हिंसा की रिपोर्टिंग और इससे जुड़े मुद्दे जैसे सर्वाइवर की सुरक्षा, निजता, सम्मान, सहमित की अवधारणा, लैंगिक हिंसा पर मीडिया की गाइडलाइंस आदि मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।"

दोषी/अपराधी से अधिक सर्वाइवर को केंद्र में रखना

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ज्यादातर ख़बरों के केंद्र में हमेशा हिंसा के सर्वाइवर होते हैं। उनके साथ क्या हुआ, घटना के वक्त वे कहां थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या पहना था इसे केंद्र बनाते हुए लैंगिक हिंसा की घटनाओं को रिपोर्ट किया जाता है।

अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर नाबालिग से रेप: पड़ोसी युवक ने नहाते समय बना लिए वीडियो, बदनाम करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म

स्रोत: दैनिक भास्कर

इस ख़बर में सर्वाइवर का वीडियो नहाते वक्त बनाया गया, इसे ही हेडलाइन का प्रमुख बिंदु बनाया गया है। साथ ही घटना की शुरुआत कैसे हुई इसकी वजह बताते हुए ख़बर को सनसनीखेज़ बनाने की कोशिश की गई है। ऐसी हेडलाइन यह इशारा करती हैं कि सर्वाइवर को नहाते वक्त अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए था। साथ ही बदनामी के डर से चुप रहने की वजह को प्रमुखता से दिखाना सर्वाइवर को एक कमज़ोर और असहाय शख़्स के रूप में चित्रित करता है।

प्रेम संबंधों से नाराज भाई ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दी थी बहन

स्रोत: अमर उजाला

इस ख़बर में भी लड़की की हत्या की बजाय उसके प्रेम संबंध को पहले जगह दी गई है। ख़बर का केंद्र बिंदु हत्या की जगह मृतक के प्रेम संबंध से नाराज़ भाई है। जबकि इस ख़बर को

सामान्य तौर पर एक भाई द्वारा बहन की हत्या के अपराध के रूप में लिखा जा सकता था।



लैंगिक हिंसा की इस ख़बर में सर्वाइवर के साथ क्या हुआ इसकी जगह इसे वरीयता दी गई है कि वह जंगल से लौट रही थी। ऐसा करना पाठकों को यह संदेश देता है कि चूंकि सर्वाइवर जंगल गई थी इसलिए ऐसा हुआ। यहां सर्वाइवर का जंगल से लौटना हिंसा की कोई वजह नहीं है। साथ ही यहां उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा के लिए छेड़खानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो हिंसा की गंभीरता को कम करता है। ख़बर के लिए ऐसी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया है जो सर्वाइवर को बेहद कमज़ोर दिखा रही है।



अपराध कैसे हुआ, इस दौरान क्या हुआ इसकी जानकारी को केंद्र में रखना

लैंगिक हिंसा से जुड़ी रिसर्च में शामिल ख़बरों में अधिकतर ख़बरों में हमने यह देखा कि हिंसा कैसे हुई, कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई इसे केंद्र में बेहद असंवेदनशीलता के साथ रखा जाता है।

'जबरन बगीचे में ले गया और रूमाल सुंघा दिया, फिर किया दुष्कर्म', नवादा में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार

स्रोत: **नवभारत टाइम्स**

यौन हिंसा की घटना पर नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट बता रही है कि आरोपी ने सर्वाइवर के

साथ बलात्कार कैसे किया, हिंसा की प्रक्रिया क्या रही। एक अपराध को सामान्य तरीके से रिपोर्ट करने की जगह यह हेडलाइन इस ख़बर को एक सनसनीखेज़ क्राइम थ्रिलर के एपिसोड की तरह पेश कर रही है। इस हेडलाइन को अपहरण के बाद बलात्कार की घटना के रूप में लिखा जा सकता था लेकिन इसकी जगह मीडिया ने इसे सनसनीखेज़ बनाना उचित समझा।

चलती ट्रेन में प्रतियोगी छात्रा से जीआरपी सिपाही ने दोस्ती की, होटल में किया घृणित कार्य, फिर क्या हुआ...

स्रोत: दैनिक जागरण

इस ख़बर की हेडलाइन में भी प्रमुखता इस बात को दी गई है कि सर्वाइवर एक छात्रा थी, अपराध एक चलती ट्रेन में हुआ और अपराध होने से

पहले सर्वाइवर ने आरोपी सिपाही से दोस्ती कर ली थी। साथ ही यहां यौन हिंसा के लिए 'घृणित काम' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं एक ख़बर जिसे संवेदनशील तरीके से लिखा जाना चाहिए उसे रहस्यमयी और सनसनीखेज़ तरीके से लिखा गया है ताकि पाठकों की दिलचस्पी इस बात में हो कि आखिर सर्वाइवर के साथ हिंसा के दौरान क्या-क्या हुआ था।

दोस्ती, प्यार और दुष्कर्म, हरिद्वार ले जाकर होटल में किया दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो-फोटो

स्रोत: दैनिक जागरण

यौन हिंसा की इस रिपोर्ट में अपराध क्या है इसकी जगह इस बात को प्रमुखता दी गई है कि सर्वाइवर आरोपी को जानती थी। वह उसकी 'दोस्त व प्रेमिका' थी। ऐसे में यह हेडलाइन यहां यह जता रही है कि यह अपराध इसलिए हुआ क्योंकि सर्वाइवर ने हिंसा करनेवाले पर भरोसा किया और वह उसके साथ होटल गई। ऐसे शब्दों और हेडलाइन का चयन अपराध के लिए सर्वाइवर को ही दोषी ठहराते हैं। ऐसे मामलों में अपराध के मूल कारण ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, जाति, वर्ग, धर्म के विशेषाधिकार, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों की किमयों, नीतियों की आलोचना की जगह, इनकी जवाबदेही तय करने की बजाय हमेशा लैंगिक हिंसा के लिए अधिकतर मामलों में सर्वाइवर की ही जवाबदेही तय की जाने लगती है।

मधेपुरा में चीरहरण: दुष्कर्म के असफल प्रयास के बाद महिला को नग्न कर गर्म बांस से की पिटाई, अब घरवालों को धमकी दे रहे आरोपित

स्रोत: दैनिक जागरण

यौन हिंसा की इस घटना के लिए दैनिक जागरण द्वारा 'चीरहरण' शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल गैरज़रूरी था। साथ ही इसमें सर्वाइवर के साथ किस बर्बरतापूर्वक हिंसा की इसे भी विस्तार से बताया गया है। साथ ही बलात्कार की कोशिश के लिए 'दुष्कर्म का असफल प्रयास' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या हम बलात्कार की ख़बरों में बलात्कार का 'सफल प्रयास' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं?

बलात्कार/यौन हिंसा की घटनाओं को सर्वाइवर की इज्ज़त/आबरू लुट जाने के रूप में चित्रित करना

आज भी लैंगिक हिंसा/यौन हिंसा से जुड़ी ख़बरों में इज्ज़त लुटना, तार-तार होना, हैवानियत का शिकार, चीरहरण, मुंह काला, गंदा काम जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इन पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी शब्दों की जगह बलात्कार, यौन हिंसा, लैंगिक हिंसा, रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

Banda News: दरिंदों ने हैवानियत की हद पार की, 53 वर्षीय महिला के साथ किया गैंगरेप, दी जान से मारने की धमकी

स्रोत: एनबीटी

पटना में 13 साल की लड़की से गंदा काम, दिल्ली पुलिस से शिकायत, आरोपित का रिश्ता जान दंग रह जाएंगे

स्रोत: दैनिक जागरण

विक्टिम ब्लेमिंग और मीडिया के सवालों के कठघरे में सर्वाइवर

लैंगिक हिंसा के लिए जब सर्वाइवर के पहनावे, चिरत्र, वह कहां थे, क्यों गए थे, किसके साथ थे जैसे सवाल किए जाते हैं तो यह विक्टिम ब्लेमिंग कहलाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब लैंगिक हिंसा के लिए सर्वाइवर को ही दोषी ठहराया जाता है वह विक्टिम ब्लेमिंग है। लैंगिक हिंसा के मामलों में विक्टिम ब्लेमिंग एक अहम पहलू है। विक्टिम ब्लेमिंग सर्वाइवर को दोबारा प्रताड़ित करने जैसा है। इससे न सिर्फ सर्वाइवर का मनोबल टूटता है बल्कि यह उनके न्याय पाने के संघर्ष को भी बढ़ाता है। विक्टिम ब्लेमिंग में सर्वाइवर को आरोपी के बजाय खुद पर उठाए गए सवालों के जवाब देने का भार उठाना पड़ता है। यह अतिरिक्त दबाव सर्वाइवर पर ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज ही डालता है जिसकी नज़रों में लैंगिक हिंसा एक 'सामान्य' घटना है।

विकटम ब्लेमिंग की संस्कृति को बढ़ाने में भारतीय मीडिया का भी बड़ा योगदान है। मीडिया जिस तरह से यौन हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है उसमें कई बार विकटम ब्लेमिंग शामिल होती है। मीडिया की भाषा सर्वाइवर को ही घटना का दोषी बना देती है। हिंदी मीडिया के अख़बार और वेबसाइट्स भी विकटम ब्लेमिंग की सोच को बढ़ावा देते नज़र आते हैं।

हिंदी मीडिया में यौन हिंसा की ख़बरों के लिए जिस तरह की भाषा, हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है उनमें अक्सर केंद्र में सर्वाइवर को ही रखा जाता है। यौन हिंसा की ख़बरों में कई जगह सर्वाइवर क्या कर रहे थे, कहां थे जैसे बिंदुओं को अहमियत दी जाती है। हिंदी मीडिया की भाषा का मूल्याकंन करते हुए यह स्थिति साफ नज़र आई है जिसमें ख़बरों को इस तरह से दिखाया जाता है कि लैंगिक हिंसा की वजहों में कहीं न कहीं सर्वाइवर खुद भी शामिल थे।

पूर्व दोस्त पर लगाया शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप

स्रोत: राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीय सहारा द्वारा इस ख़बर की हेडलाइन को जिस तरह से लिखा गया है उसमें महिला के जीवन और उसके रिश्ते को केंद्र में रखा गया है। 'पूर्व दोस्त' जैसे शब्द का इस्तेमाल करने से महिला के चरित्र को केंद्र

बनाया गया है जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आरोपी पहले से महिला का दोस्त था। विकिटम ब्लेमिंग की माने तो यौन हिंसा जैसे अपराधों से बचने की ज़िम्मेदारी महिलाओं को खुद उठानी चाहिए। जैसे उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।

गला घोंटकर लिव-इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट

स्रोत: राष्ट्रीय सहारा

ठीक इसी तरह लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली किसी महिला के साथ हिंसा की घटना रिपोर्ट करने के लिए अख़बारों और वेबसाइट्स में सर्वाइवर के रिलेशनशिप स्टेटस को अधिकतर

हेडलाइन में शामिल किया गया है। यहां मीडिया विवाह से अलग किसी रिश्ते में रहने वाली महिला को हिंसा का दोष देने वाली सोच से ग्रसित नज़र आती है।

Rajasthan Crime : पति से थी अनबन तो शादी का झांसा देकर विवाहिता से दो साल तक किया गैंगरेप

स्रोत: एनबीटी

अब लैंगिक हिंसा से जुड़ी इस ख़बर को देखिए जहां एक महिला का लगातार दो साल तक गैंगरेप किया गया है इस तथ्य से पहले हेडलाइन में

इस तथ्य को प्रमुखता दी गई है कि सर्वाइवर का अपने पित के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। यौन हिंसा के इस मामले में सर्वाइवर की वैवाहिक स्थिति और उसका उसके पित के साथ रिश्ता क्या है यह दोंनो बातें ही गैर-ज़रूरी हैं। विक्टिम ब्लेमिंग में सर्वाइवर को आरोपी के बजाय खुद पर उठाए गए सवालों के जवाब देने का भार उठाना पड़ता है। लैंगिक हिंसा के मामले में जब आरोपी की जगह सर्वाइवर की जवाबदेही अधिक तय की जाने लगती है तो यह सर्वाइवर के न्याय पाने के संघर्ष को और अधिक बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर इस ख़बर में जिस तरीके से इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सर्वाडवर की अपने पति से अनबन चल रही थी उससे पाठकों को यही संदेश जाएगा कि इसमें ग़लती सर्वाइवर की ही है।

महरौली • लिवडन पार्टनर की बेरहमी से हत्या का मामला अगर मां-बाप की बात मानी होती तो जिंदा होती श्रद्धा. प्यार

के लिए छोडा अपनों का साथ

फोन बंद आ रहा था. टेविनकल सर्विलांस से आफताब को ढूंढ़ा

महाराष्ट्र मंबई की रहने वाली 27 साल की श्रद्धा वालकर ने जिस युवक के लिए अपने परिजनों का साथ छोड़ दिया, उसी ने अपने प्यार का बेरहमी से कल्ल कर दिया। अग श्रद्धा ने अपने परिजनों की बात मान ली होती तो शायद आज वह जिंदा होती। आफताब और श्रद्धा दोनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे, इसलिए श्रद्धा के परिजन उसके प्यार की खिलाफत कर रहे थे। आफताब की मुहब्ब्त में अंधी हो चुकी श्रद्धा को उसके अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा था। एक दिन आफताब के लिए उसने अपने परिजनों को ही ठुकरा दिया था। आखिर, में उसकी प्रेम कहानी का अंत एक खीफनाक खबर के साथ

दस नवंबर को महरौली धाने में बेटी श्रद्धा की किडनैपिंग का केस दर्ज कराते समय पीड़ित पिता विकास मदन वालकर (59) ने बताया वह संस्कृति अपार्टमेंट जवाहरलाल नेहर रोड, वसई वेस्ट डिस्ट्रिक पालघर महाराष्ट्र निवासी हैं। उनका इलैक्ट्रोनिक्स का सेल और सर्विस का काम है। इनकी 27 साल की बेटी श्रद्धा और बेटा श्रीजय विकास साल का बटा श्रद्धा आर बटा श्राज्य विकास वालकर (23) है। उनकी पत्नी सुमन मदन बालकर की 23 अक्टूबर 2010 को मीत हो गई श्री। पत्नी की मृत्यु के चार साल पहले से वह अपनी मां के साथ अमर प्रियादशंनी अपार्टमेंट जवाहर लाल रोड, बसई महराष्ट्र में रह रहा था। जबकि उनकी पत्नी और दो बच्चे कर दिया था। क्योंकि आफताब और हमारा

साल 2018 में उनकी बेटी श्रद्धा मलाइ पर प्रश्निक ने प्रिक ने प्रश्निक ने प्रिक ने प्रश्निक ने प्रिक ने प्रश्निक ने प्रश्निक ने प्रश्निक ने प्रिक ने प्रिक ने प्रिक



बंद आ रहा है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिय नहीं। इसके बाद उन्होंने थाना मानिकपुर महाराष्ट्र में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। लोकल पुलिस ने इंक्वायरी की। पुलिस आफताब के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। 10 नवंबर को महरौली धाने में मामला दर्ज करवाया गया। स्थानीय थानाध्यक्ष पीसी यादव की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफताब की लोकेशन ट्रेस कर उसे फकड़ लिया। इससे पूछताछ हुई तो मध्य मई माह में श्रद्धा की बेरहमी से हुई हत्या का राजफाश हो गया।

साथ लिवडन रिलेशनशीप में रहना चाहती है। पत्नी और उसने श्रद्धा को इसके लिए मना धर्म अलग अलग है। हमारे यहां दूसरे धर्म और जाति में शादी नहीं हो सकती थी। मना ने यह बात अपनी मां को साल 2019 में दिया था वह आज से उनकी बेटी नहीं। इसके बतायी थी। उसने कहा था वह आफताब के बाद वह अपना सामान घर से ले जाने लगी।

स्रोत: दैनिक भास्कर

दिल्ली में नवंबर के महीने में एक युवती की उसके साथी द्वारा की गई हत्या को मेनस्ट्रीम मीडिया ने लैंगिक हिंसा या इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस के नज़रिये से देखे जाने की जगह बाकी हर एंगल से कवर किया। अब दैनिक भास्कर की इस ख़बर के शीर्षक को देखिए जहां ख़बर लिखनेवाले ने यह पहले से ही तय कर लिया है कि सर्वाइवर की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने परिवार की बात नहीं मानी, अगर वह परिवार के कहे अनुसार चलती तो उसकी हत्या नहीं होती। ख़बर के पहले पैरा में मृतक की मोरल पुलिसिंग की जा रही है कि उसने अपने साथी के लिए अपने परिवार को ठुकरा दिया। यहां उसके साथ हुए अपराध से अधिक उसकी एजेंसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

यहां आरोपी को पहले ही मीडिया ने क्लिनचिट दे दी है क्योंकि मीडिया के मुताबिक दोष तो मृतक का है जिसने

अपने साथी के साथ लिव-इन में रहना चुना। यहां असंवेदनशीलता का स्तर यह है कि युवती की हत्या हो चुकी है लेकिन यहां उसके द्वारा लिए गए फ़ैसले को आधार बनाकर उस पर ही दोष मढ़ा जा रहा है। यहां मीडिया के लिए ज्यादा गंभीर मुद्दा लैंगिक हिंसा, इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस की जगह महिला का अपनी पंसद के साथी के साथ रहना है। ख़बर में लैंगिक हिंसा से अधिक लिव-इन शब्द को केंद्र में रखा गया है।



प्रोफेसर विभृति पटेल, उपाध्यक्ष, इंडियन असोसिएशन फॉर वीमन स्टीज़

लैंगिक हिंसा से जुड़े मिथ्य और स्त्री विरोधी मानसिकता को चुनौती देने के लिए मीडिया कवरेज में महिलाओं के कपड़े, उनकी आवाजाही, निज़ी जिंदगी से जुड़े पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद को चुनौती दी जानी चाहिए। महिला समूहों, सामुदायिक समूहों और सिविल सोसाइटी को एक ऐसा लोकतांत्रित प्लैटफॉर्म बनाना चाहिए जहां लैंगिक हिंसा, इसकी रोकथाम कैसे की जाए आदि मुद्दों पर चर्चा हो सके। साथ ही लैंगिक हिंसा से जुड़ी खबरों की प्रस्तुति संवेदनशील और ज़िम्मेदार तरीके से की जानी चाहिए। साथ ही इन खबरों में यह ज़रूर लिखा जाना चाहिए कि लैंगिक हिंसा एक कानूनी अपराध है।



परिचित द्वारा यौन हिंसा/लैंगिक हिंसा के मामले में मीडिया का पितृसत्तात्मक रवैया

नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि बीते साल महिलाओं के ख़िलाफ़ होनेवाले बलात्कार के 96.5% मामलों में आरोपी उनके जानकार थे।

अांकड़ों के मुताबिक महिला के पित या पार्टनर द्वारा किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या भी पहले से बढ़ी है। आंकड़े और रिपोर्ट्स बताती हैं कि लैंगिक हिंसा से ज्यादातर मामलों में आरोपी सर्वाइवर के जानकार होते हैं। लेकिन जब बात जानकारों, परिवार के सदस्यों द्वारा हिंसा की गई हिंसा से जुड़ी होती है तो यहां मीडिया का पितृसत्तात्मक नज़िरया दिखाई देता है। घर में होनेवाली लैंगिक हिंसा की घटनाओं को न सिर्फ असंवेदनशीलता के साथ बिल्क सनसनीखेज़ तरीके से पेश किया जाता है। इन घटनाओं को लैंगिक हिंसा से अधिक 'रिश्तों की मर्यादा' को खत्म करने के नज़िरये से कवर किया जाता है।

Jharkhand Crime News: झाड़-फूंक के नाम पर मौसा ने रिश्ते को किया कलंकित, युवती के साथ किया गंदा काम

स्रोत: दैनिक जागरण

दैनिक जागरण में यौन हिंसा से जुड़ी इस ख़बर में बलात्कार, यौन हिंसा या रेप जैसे शब्दों की जगह 'गंदा काम' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द अपने आप में यौन हिंसा जैसे अपराध की गंभीरता को कम कर रहा है। साथ ही इस ख़बर में

हिंसा से अधिक इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि सर्वाइवर के मौसा ने रिश्ते को कलंकित किया है। ख़बर में इस बिंदु को प्रमुखता से दिखाए जाने के कारण यह पाठकों का ध्यान लैंगिक हिंसा से अधिक इस बात की ओर ले जाता है कि इस घटना से मौसा और भतीजी जैसे रिश्ते की मर्यादा को ठेस पहुंची है। यहां अपराध से अधिक नैतिकता और मर्यादा जैसी भावनाओं को अहमियत दी गई है। यहां यौन हिंसा को एक अपराध से अधिक पारिवारिक मामले की तरह रिपोर्ट किया गया है।



एनबीटी में रिश्तेदार द्वारा एक नाबालिंग के साथ यौन हिंसा की इस ख़बर को देखिए। इसमें कई स्तरों पर असंवेदनशीलता और पूर्वाग्रह का परिचय दिया गया है। ख़बर की हेडलाइन को सनसनीखेज़ बनाने के लिए सर्वाइवर ने फोन पर जो पुलिस को कहा उसे इस्तेमाल किया गया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इसे सीधे तौर पर ऐसे लिखा जा सकता था- "रिश्तेदार ने किया नाबालिंग का रेप, पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज।"

ख़बर में इस्तेमाल की गई तस्वीर सर्वाइवर को बेहद कमज़ोर और असहाय दिखा रही है और अपराधी को मज़बूत। ख़बर की पहली लाइन में ही रिश्तों को शर्मसार करने जैसी बात कही गई है। यहां अपराध से अधिक सर्वाइर का दोषी से रिश्ता क्या था इसे प्रमुखता दी गई है।

साथ ही ख़बर में सगे चाचा और चाचा शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है। हालांकि ख़बर में आरोपी शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है लेकिन सिर्फ आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया जाना एक बेहतर विकल्प होता। जानकारों और परिजनों द्वारा की जानेवाली लैंगिक हिंसा और यौन हिंसा से जुड़े मामलों में इस तरह की शब्दावली और सोच अपराध से अधिक रिश्तों की तथाकथित मर्यादा को वरीयता दी जाती है।

एकतरफा प्रेमी/सिरिफरे आशिक के सिंड्रोम से ग्रसित मीडिया


सिरिफरा आशिक, एकतरफा प्यार जैसे शब्द हिंदी मीडिया द्वारा खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल उन लैंगिक अपराधों के संदर्भ में किया जाता हैं जहां दोषी द्वारा अपराध सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्वाइवर ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया होता है। पितृसत्तात्मक सोच के तहत मर्द अपना प्रस्ताव ठुकराए जाने पर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। एकतरफा प्यार और सिरिफरे आशिक की अवधारणा को मीडिया और फिल्मों द्वारा भी बेहद रोमांटिसाइज़ किया गया है। उनकी हिंसा को 'प्यार' के रूप में दिखाया जाता है। शोध और आंकड़े बताते हैं कि लड़िकयों और महिलाओं के ख़िलाफ़ होनेवाले ऐसिड अटैक की घटनाओं की मुख्य वजह उनका शादी से मना करना और यौन संबंध बनाने से इनकार कर देना है। लेकिन लैंगिक हिंसा की घटनाओं में सिरिफरा आशिक, एकतरफा प्यार जैसे शब्दों के इस्तेमाल से लैंगिक/यौन हिंसा की गंभीरता कम होती है। साथ ही इसे सर्वाइवर की गलती के रूप में देखा जाने लगता है।



मध्य प्रदेश के इंदौर में मई के महीने में एक रिहायशी इलाके में आग लगा दी गई। आग लगानेवाले आरोपी ने उस इमारत में रह रही एक लड़की के साथ हुए झगड़े के बाद इस घटना को अंजाम दिया था। इस आगजनी में सात लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को हमारी रिसर्च में शामिल वेबसाइट्स दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और एनबीटी ने कैसे रिपोर्ट किया?

तीनों ही वेबसाइट्स ने अपनी हेडलाइंस में इन शब्दों का इस्तेमाल किया एनबीटी- दिलजले, सर्वाइवर के लिए गर्लफ्रेंड दैनिक भास्कर- लड़की की बेवफ़ाई से था परेशान दैनिक जागरण- सिरफिरे आशिक

यहां आग लगानेवाले के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को कम कर रहा है। यहां अपराध की पूरी वजह लड़की की 'बेवफाई' को बताया जा रहा है।



दैनिक भास्कर में छपी इस ख़बर में जहां एक आरोपी ने सर्वाइवर पर चाकू से जानलेवा हमला किया, वहां उसे एक आरोपी या अपराधी की बजाय सिरिफरे आशिक के तौर पर पेश किया है। साथ ही हेडलाइन में इस्तेमाल की गई यह लाइन- 'लड़की ने बात करने से किया था इनकार' को प्रमुखता दी गई है। यहां यह बताने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि सर्वाइवर ने हमलावर से बात करने से इनकार कर दिया था इसलिए ऐसा हुआ। यहां अपराध की गंभीरता को कम करने के साथ-साथ विकटम ब्लेमिंग की सोच भी दिखाई दे रही है। ख़बर के अंदर भी पुलिस के बयान के हवाले से इस बात को प्रमुखता दी गई है कि हमलावर और सर्वाइवर एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे।

सर्वाइवर पर भरोसा न करना

हिंदी मीडिया में ख़बरों में लैंगिक हिंसा के लिए 'आरोप' लगाया शब्द बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है जिससे सर्वाइवर पर कम भरोसा होने की बात जाहिर होती है। हालांकि, अपराध सिद्ध न होने से पहले हम दोषी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन उसकी जगह किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है यह बेहद मायने रखता है। लैंगिक हिंसा की ख़बरों में आरोप लगाने की भाषा सर्वाइवर को संदेह के घेरे में रखती है। लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स पर भरोसा करना, उन्हें न्याय दिलाने की ओर पहला कदम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सर्वाइवर्स अपने साथ हुए अनुभवों को साझा करते हैं तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता, उनके अनुभवों को खारिज किया जाता है। यहां उल्टा सर्वाइवर्स से सवाल किए जाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स अपने साथ हुई हिंसा को रिपोर्ट करने से कतराते हैं।

विधवा ने किया दहेज उत्पीड़न का केस

स्रोत: राष्ट्रीय सहारा, पटना संस्करण

विधवा महिला ने किया दहेज उत्पीड़न का केस इस ख़बर के शीर्षक में सूचना देने से ज्यादा हैरानी जैसे भाव का इस्तेमाल किया है। चूंकि महिला विधवा है इसलिए वह दहेज का केस कैसे कर सकती है। यहां महिला की

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसके अनुभव को खारिज किया जा रहा है।

न हो कानून का दुरुपयोग, कुछ महिलाएं एक हथियार के रूप में कर रहीं इसका इस्तेमाल

स्रोत: दैनिक जागरण

लैंगिक हिंसा से जुड़े कानूनों के ख़िलाफ़ हमेशा से यह नैरेटिव चलाया गया है कि महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। ख़बर में इस बात को प्रमुखता दी गई है कि कैसे महिलाएं इन कानूनों का धड़ल्ले से

हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि, ख़बर के अंदर सिर्फ एक केस का संदर्भ दिया गया है। इसके अलावा किसी आंकड़े या रिपोर्ट के संदर्भ का इस्तेमाल इस बात को पुख्ता करने के लिए नहीं किया गया है कि कैसे इन कानूनों का महिलाओं द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पूरी रिपोर्ट पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों से भरपूर है, जो लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स पर भरोसा न करने की सोच को बढ़ावा देती है।

वेबसाइट द न्यूज़ मिनट में छप<u>ी एक रिपोर्ट बताती</u> है कि साल 2020 में नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आकंड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बलात्कार के 8 फीसद से भी कम झूठे केस दर्ज किए जाते हैं।

सर्वाइवर की पहचान को उजागर करना

साल 2018 में जम्मू के कठुआ में एक नाबालिंग के बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के दौरान मीडिया द्वारा नाबालिंग की पहचान उजागर कर दी गई थी। इस दौरान उसकी तस्वीरें और नाम दोंनो ही मीडिया द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अलग-अलग मीडिया संस्थानों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

सात फेरों से पहले दुल्हन की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

मथुरा में एकतरफा प्यार में सिरफिरे युवक ने दिया वारदात को अंजाम

मथुरा। नौहझील के मुबारिकपुर में बृहस्पतिवार की देर रात सात फेरे लेने से पहले दुल्हन के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एकतरफा प्यार में सिरिफरे पड़ोसी युवक ने वारदात को अंजाम दिया। कनपटी से सटाकर मारी गई गोली से दुल्हन जमीन पर गिर गई और घर में चीख-पुकार मच गई। इससे पहले दुल्हे को तमंचा और चाकू दिखाकर धमकाया भी गया। इतना ही नहीं, वरमाला के वक्त पथराव करके बरातियों और घरातियों में भय भी पैदा किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अनीश को गिरफ्तार कर लिया। उसके समेत तीन पर मकदमा दर्ज किया गया है।



दुल्हन काजल आरोपी अनीरा

तमंचा और चाकू दिखाकर दूल्हे और बरातियों को धमकाया कि वापस चले जाओ

के गांव कल्लूपुरा से मटरू के बेटे की बरात बृहस्पतिवार शाम को गांव मुबारिकपुर में पहुंची। यहां पर

(19) के साथ शादी होनी थी। एकतरफा प्यार में पड़ोसी युवक अनीश अपने भाई कपिल उर्फ छोट

और परिवार के युवक संजु के संग शाम को जनमासा में पहुंचा। वहां पर तमंचा और चाकु दिखाकर दुल्हे व बरातियों को धमकाया कि वापस चले जाओ। वरमाला के वक्त भी इन तीनों युवकों ने पथराव किया। एक बार तो दुल्हे ने शादी करने से मना कर दिया लेकिन दोनों परिवारों के समझाने में वह किसी तरह से शादी करने को तैयार हुआ। रात करीब 1:30 बजे दुल्हा-दुल्हन के फेरे की तैयारियां चल रही थीं। उसी दौरान सिरफिरा अनीश जाटव दो युवकों संग आया और दुल्हन की कनपटी से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि मख्य आरोपी अनीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद

स्रोत: अमर उजाला, लखनऊ संस्करण

30 अप्रैल को अमर उजाला के लखनऊ संस्करण में छपी इस ख़बर को देखिए। इस ख़बर के मुताबिक आरोपी ने 'एकतरफ़ा प्यार' में लड़की को गोली मार दी। यह ख़बर कई स्तरों पर असंवेदनशीलता दर्शाती है।

पहला- इस ख़बर में हिंसा की घटना को एकतरफा प्यार का परिणाम बताया गया है। ख़बर में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया है, इसे इस तरह से लिखा गया है मानो कोई फिल्म चल रही है। घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि आरोपी ने किस तरह घटना को अंजाम दिया।

दूसरा- मृतक की तस्वीर, पता, उसके पिता का नाम कुछ भी गुप्त नहीं रखा गया, सब कुछ प्रकाशित कर दिया गया है।

इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 228A के तहत बलात्कार के मामलों सर्वाइवर की पहचान उजागर करना एक कानून जुर्म है। आईपीसी के सेक्शन 376, 376A, 376B, 376C और 376D के तहत आनेवाले अपराधों के सर्वाइवर्स की पहचान उजागर करना अपराध के दायरे में आता है। पॉक्सो ऐक्ट के सेक्शन 23 (2) के तहत भी यौन हिंसा के नाबालिंग सर्वाइवर की पहचान उजागर करना एक कानून जुर्म है। यौन हिंसा के मामलों में सर्वाइवर/पीड़ित की पहचान उजागर करने से तात्यपर्य सिर्फ उसके नाम या तस्वीर से नहीं है, बिल्क ऐसी किसी भी जानकारी से है जिससे उनकी पहचान उजागर होने की संभावना हो।



लैंगिक हिंसा से जुड़ी खबरों में तस्वीरों का महत्व

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में किस तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है यह भी बेहद मायने रखता है। मीडिया द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली तस्वीरें लैंगिक हिंसा के प्रति लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने का एक ज़रिया बन सकती हैं।

हालांकि, रिसर्च के दौरान हमने पाया कि लैंगिक हिंसा से जुड़ी करीब 90 फीसदी ऑनलाइन ख़बरों में हिंदी मीडिया द्वारा ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें औरतों को रोते, अंधेरे में अपना मुंह छिपाते, ज़मीन पर बैठकर रोते, डरे-सहमे हुए, अपराधी से भागते हुए दिखाया जाता है। कई तस्वीरों में आरोपी द्वारा औरतों का दुपट्टा खींचते, उनके साथ हिंसा करते, उन्हें डराते-धमकाते या उनका मुंह दबाते भी दिखाया जाता है। लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में इस्तेमाल की गई तस्वीरें बताती हैं कि हिंदी मीडिया सर्वाइवर्स को एक 'बेचारी' महिला के रूप में चित्रित करने की आदत से मजबूर है।

हिंदी मीडिया द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित तस्वीरों का इस्तेमाल



कई बार इन ख़बरों में औरतों की ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है जो कहीं न कहीं इन घटनाओं को सेक्सुअलाइज़ करती नज़र आती हैं। ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल उस रूढ़िवादी विचार को मज़बूत करता है कि इन 'सुंदर' महिलाओं के साथ ही यौन हिंसा की घटनाएं होती हैं। ये तस्वीरें लैंगिक/ यौन हिंसा के ख़िलाफ़ एक पितृसत्तात्मक सोच का परिचय देती हैं।



साथ ही कई तस्वीरों में सर्वाइर को हमेशा एकांत, अंधेरी जगहों पर दिखाया जाता है जो यह चित्रित करता है कि ऐसी एकांत जगहों पर ही हिंसा होने की संभावना अधिक होती है। ऐसी तस्वीरें हिंसा का ज़िम्मेदार सर्वाइवर को ही ठहराती हैं। जबिक आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के साथ सबसे अधिक हिंसा उनके घरों में, उनके जानकारों द्वारा ही की जाती है।



लैंगिक हिंसा की ख़बरों में ज्यादातर ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है जो यह बताती हैं कि हिंसा हमेशा शारीरिक ही होती है जबिक लैंगिक हिंसा भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक आदि कई रूपों में हो सकती है।



इन ख़बरों में सर्वाइवर को अक्सर ऐसे चित्रित किया जाता है जैसे हिंसा की इस घटना के बाद उनका जीवन खत्म हो गया है और अब उनकी पहचान सिर्फ एक असहाय पीड़ित की है। इन ख़बरों में सर्वाइवर को अक्सर ऐसे चित्रित किया जाता है जैसे हिंसा की इस घटना के बाद उनका जीवन खत्म हो गया है और अब उनकी पहचान सिर्फ एक असहाय पीड़ित की है।

ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में क्यों नहीं करना चाहिए?

लैंगिक हिंसा/यौन हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट्स या ख़बरों में कैसी तस्वीरों का इस्तेमाल करना चाहिए?

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल सर्वाइवर को कमज़ोर और असहाय व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है।

ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल करें जहां सर्वाइवर असहाय नज़र न आए।

ऐसी तस्वीरें सर्वाइवर्स के प्रति उसी रूढ़िवादी सोच को मज़बूत करती हैं जिसके मुताबिक लैंगिक हिंसा के बाद सर्वाइवर का जीवन खत्म हो जाता है।


लैंगिक या यौन हिंसा के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शनों की तस्वीरों का इस्तेमाल करें।


ये तस्वीरें लैंगिक हिंसा के आरोपियों को एक ताकतवर, आक्रामक, सर्वाइवर्स पर प्रभुत्व रखनेवाले शख़्स के रूप में चित्रित करती हैं।


ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल करें जहां केंद्र में सर्वाइवर की जगह आरोपी/दोषी हो।


ऐसी तस्वीरें लैंगिक/यौन हिंसा के सर्वाइवर्स को मानसिक रूप से प्रभावित भी कर सकती हैं। ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल न करें जो सर्वाइवर को ही हिंसा का दोषी ठहराती नज़र आए।

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में इस्तेमाल की जानेवाली तस्वीरों के विकल्प











लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स का साक्षात्कार कैसे करें

लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स के इंटरव्यू के दौरान अक्सर मीडिया द्वारा असंवेदनशील सवाल पूछे जाते हैं। लैंगिक और यौन हिंसा के सर्वाइवर्स के लिए बार-बार अपने अनुभव के बारे में बात करना मानसिक और भावनात्मक रूप से एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसे में लैंगिक या यौन हिंसा के सर्वाइवर्स के साक्षात्कार के दौरान मीडियाकर्मियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे जिस मुद्दे पर सर्वाइवर का इंटरव्यू कर रहे हैं वह एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में सर्वाइवर्स के साक्षात्कार के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहां हम बता रहे हैं।

सर्वाइवर और उसके परिवार से पहले इजाज़त लें कि क्या वे साक्षात्कार के लिए तैयार हैं।

संभव हो तो सवालों की सूची सर्वाइवर को पहले भेज दें ताकि वे मानसिक रूप से तैयार रहें कि उन्हें किन सवालों का जवाब देना है और किन मुद्दों पर वे बात करने में सहज नहीं हैं।

अपने और अपने संस्थान के बारे में उन्हें सारी जानकारी दें कि आप उनका इंटरव्यू क्यों करना चाहते हैं।

सर्वाइवर से पूछ लें कि क्या वे किसी महिला पत्रकार को इंटरव्यू देने में अधिक सहज हैं।

इंटरव्यू किस माध्यम के लिए हो रहा है यह भी बेहद मायने रखता है। कई सर्वाइवर्स अक्सर कैमरे के सामने आने में सहज नहीं होते हैं। इसलिए इंटरव्यू से पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी दें कि उनका यह इंटरव्यू टीवी पर जाएगा, अखबार में छपेगा या फिर वेबसाइट पर जाएगा।

अगर सर्वाइवर देर तक चुप रहते हैं या सवाल का जवाब देने में वक्त लगा रहे हैं तो इस बात का सम्मान करें। अपने साथ हुई हिंसा के बारे में दोबारा बात करना किसी के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इंटरव्यू में कौन से सवालों का जवाब देना ज़रूरी है यह फ़ैसला सर्वाइवर को करने दें।

सर्वाइवर और इंटरव्यू में शामिल लोगों की सुरक्षा और निजता का बेहद ध्यान रखें। इंटरव्यू के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखें कि सर्वाइवर या उसके परिवार से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी बाहर न जाए जिससे उनकी पहचान की जा सके।

इंटरव्यू के दौरान बेहद संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करें। किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें जो सर्वाइवर को ही दोषी ठहराए। उनके द्वारा कही गई बातों पर भरोसा करें।

इस बात का सम्मान करें कि सभी सर्वाइवर्स अपने साथ हुई हिंसा या उससे जुड़ी सभी बातों को साझा करने में सहज नहीं होते। उनके फ़ैसले का सम्मान करें। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए उन पर दबाव न बनाएं।

साक्षात्कार के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां सर्वाइवर सुरक्षित महसूस करें। उनकी निजी जगहों जैसे घर जाने से पहले उनकी सहमित ज़रूर लें। सर्वाइवर के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वे अपनी बात रखने में सहज हो।

सवाल पूछते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सर्वाइवर के साथ हुई हिंसा से जुड़ी बातों को दोहराना, उससे जुड़े सवालों का जवाब देना ट्रिगरिंग हो सकता है।

सर्वाइवर द्वारा दिए गए जवाबों को एक समावेशी नज़रिये से पेश करें। जेंडर के साथ-साथ अन्य कौन से पहलू इस हिंसा के लिए ज़िम्मेदार थे इसकी जानकारी पाठकों/दर्शकों को दें।

बिना किसी पूर्वाग्रह के सर्वाइवर की बातों को सुनें। अपने विचार या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं यह न बताएं। सर्वाइवर की बातों को बीच में न काटें।

इंटरव्यू के प्रकाशित या प्रसारित होने से पहले एकबार ड्राफ्ट सर्वाइवर से ज़रूर साझा करें। अगर वे किसी हिस्से को हटाना चाहते हैं तो उनके फ़ैसले का सम्मान करें।

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों में किन शब्दों का करें इस्तेमाल

इन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल न करें

इनकी जगह इन शब्दों/भाषा का इस्तेमाल करें

इज्ज़त लूटी/मुंह काला/आबरू लूटी, हैवानियत, गंदा काम, हवस का शिकार, लूटी अस्मत, दिरंदगी

बलात्कार, यौन हिंसा, रेप

छेड़खानी

उत्पीड़न, हिंसा

सर्वाइवर की मोरल पुलिसिंग न करें

सामान्य शब्दों में घटना को रिपोर्ट करें

जानकार द्वारा बलात्कार या लैंगिक हिंसा करने पर उसे सनसनीखेज़ बनाना अगर हिंसा किसी परिवार के सदस्य या जानकार द्वारा की गई है तो सर्वाइवर और अपराधी के रिश्ते को केंद्र में न रखें। उन्हें सर्वाइवर और दोषी/अपराधी के तौर पर ही रिपोर्ट करें।

घरेलू हिंसा के मामलों में घरेलू/आपसी विवाद, कलह, मनमुटाव

घरेलू हिंसा

एकतरफा प्रेमी/आशिक

उत्पीड़क, शोषणकर्ता, जिसने अपराध किया

इन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल न करें

इनकी जगह इन शब्दों/भाषा का इस्तेमाल करें

शिकार

सर्वाइवर

शीर्षक/ख़बरों में जिसके साथ अपराध हुआ उसे केंद्र में रखना

जिसने अपराध किया उसे केंद्र में रखें

जिसके साथ अपराध हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अपराध के दौरान क्या हुआ इसकी जानकारी देना इसकी जगह अपराध के बारे में सीमित जानकारी दें। सर्वाइवर की जगह दोषी/अपराधी को केंद्र में रखें

रेप का/हिंसा का झूठा आरोप

सर्वाइवर पर भरोसा जताने वाले शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करें। मीडिया ट्रायल करके, लैंगिक हिंसा की घटना पर सवाल न उठाएं।

चेतावनी की भाषा का इस्तेमाल। ऐसा करने पर हो सकती है बलात्कार की संभावना

ऐसा करना सर्वाइवर पर ही अपराध को रोकने की ज़िम्मेदारी डालता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें।

शीर्षक/ख़बरों में जिसके साथ अपराध हुआ उसे केंद्र में रखना

जिसने अपराध किया उसे केंद्र में रखें

घटना के दौरान अगर सर्वाइवर के साथ गंभीर शारीरिक हिंसा की गई है तो उसकी जानकारी विस्तार से देना। ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें सर्वाइवर के साथ हुई शारीरिक हिंसा की जानकारियां असंवेदनशील और एक सनसनी के रूप में पेश की गई हैं उसे इस्तेमाल न करें।

इन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल न करें

इनकी जगह इन शब्दों/भाषा का इस्तेमाल करें

लैंगिक हिंसा की ख़बरों में जाति, वर्ग, क्षेत्र, जेंडर, यौनिकता, धर्म, विकलांगता आदि ज़रूरी पहचान का ज़िक्र न करना सर्वाइवर को सिर्फ एक महिला के रूप में देखना जाति, वर्ग, क्षेत्र, जेंडर, यौनिकता, धर्म, विकलांगता आदि पहचान के आधार पर हाशिये पर आने वाले लोगों के अनुभवों को खारिज करता है।

महिला के साथ बलात्कार/ का बलात्कार

किसके साथ हिंसा हुई इसकी जगह किसने हिंसा की शीर्षक और ख़बर दोंनो में इसे प्रमुखता दी जानी चाहिए

हैवान, राक्षस, दरिंदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल

हिंसा करने वाले के लिए आरोपी या अपराधी या बलात्कारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें

सर्वाइवर और उसके परिवार से जुड़ी जानकारियां साझा करना लैंगिक हिंसा और यौन हिंसा के मामलों में सर्वाइवर और उसके परिवार से जुड़ी जानकारियां जैसे उम्र, नाम, पता, क्षेत्र, तस्वीर आदि साझा न करें। यह उनके लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

नाबालिग सर्वाइवर्स की उम्र साझा करना

नाबालिंग के साथ लैंगिक हिंसा के मामलों में उनकी उम्र को प्रमुखता देने की जगह नाबालिंग शब्द का इस्तेमाल करना एक बेहतर विकल्प होता है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

🧻 अपनाएं एक समावेशी नज़रिया:

लैंगिक हिंसा के मुख्य कारणों में जेंडर एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जेंडर इकलौती वजह नहीं है जिसके कारण लोगों को लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। सभी के लिए लैंगिक हिंसा के अनुभव समान नहीं होते हैं। इसलिए लैंगिक हिंसा को समझने के लिए हमें जेंडर के साथ-साथ जाति, वर्ग, धर्म, यौनिकता, विकलांगता, क्षेत्रीयता आदि पहलुओं की भूमिका को भी केंद्र में रखने की ज़रूरत है। इन मुद्दों को ध्यान में रखे बिना लैंगिक हिंसा की कवरेज न सिर्फ अधूरी है बल्कि ऐसी यह कवरेज सर्वाइवर के अन्य संघर्षों को भी नज़रअंदाज़ करती है।

🔳 संवेदनशील भाषा और शब्दों को प्राथमिकता दें:

ख़बरों की हेडलाइंस में भड़काऊ, सनसनीखेज़ शब्दों के इस्तेमाल के बिना भी लैंगिक हिंसा से जुड़ी ख़बरों को रिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसी भाषा ख़बर के मूल उद्देश्य को भटकाती है। अपराध और हिंसा को एक सनसनीखेज़ वारदात के रूप में पेश करती है। ऐसा करना लैंगिक हिंसा के प्रति पाठकों की पितृसत्तात्मक सोच को और मज़बूती देता है।

सर्वाइवर की जगह आरोपी/दोषी को केंद्र में रखें:

लैंगिक हिंसा से जुड़ी ज्यादातर ख़बरों के केंद्र में हमेशा हिंसा के सर्वाइवर होते हैं। उनके साथ क्या हुआ, घटना के वक्त वे कहां थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या पहना था इसे केंद्र बनाते हुए लैंगिक हिंसा की घटनाओं को रिपोर्ट किया जाता है। सर्वाइवर की जगह आरोपी को केंद्र में रखकर ख़बर लिखी जानी चाहिए। अगर सर्वाइवर किसी हाशिये की पहचान से आते हैं तो वहां आरोपी/दोषी की सामाजिक पहचान भी महत्व रखती है।

विक्टिम ब्लेमिंग को बढ़ावा न दें:

विक्टिम ब्लेमिंग की संस्कृति को बढ़ाने में भारतीय मीडिया का भी बड़ा योगदान है। मीडिया जिस तरह से यौन हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है उसमें कई बार विक्टिम ब्लेमिंग शामिल होती है। लैंगिक हिंसा के मामलों में विक्टिम ब्लेमिंग एक अहम पहलू है। विक्टिम ब्लेमिंग सर्वाइवर को दोबारा प्रताड़ित करने जैसा है। इससे न सिर्फ सर्वाइवर का मनोबल टूटता है बल्कि यह उनके न्याय पाने के संघर्ष को भी बढ़ाता है। विक्टिम ब्लेमिंग में सर्वाइवर को आरोपी के बजाय खुद पर उठाए गए सवालों के जवाब देने का भार उठाना पड़ता है। लैंगिक हिंसा की कवरेज के दौरान ऐसा शब्दों या रवैये का इस्तेमाल न करें जिससे अपराध का सारा दोष सर्वाइवर पर ही मढ़ दिया जाए।

- लैंगिक हिंसा की खबरों को इकलौती घटना की तरह रिपोर्ट न करें:
 - लैंगिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं को पृथक घटनाओं की तरह रिपोर्ट न करें। इसके पीछे के कारणों जैसे लैंगिक भेदभाव, पितृसत्तात्मक सोच, रूढ़ीवादी विचारों का भी ज़िक्र करें। इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में चिन्हित करें। इससे लैंगिक हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
- अांकड़ों का इस्तेमाल करें: लैंगिक हिंसा की कवरेज में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों का इस्तेमाल करें। लैंगिक हिंसा किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार हनन में से एक है इसका ज़िक्र करें। जिस क्षेत्र की ख़बर है उससे जुड़े आंकड़ों का हवाला दें।
- सहायता समूह, संस्थाओं और कानून की जानकारी देना:

 मीडिया अपनी पहुंच का इस्तेमाल लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स को सहायता समूहों,
 लैंगिक हिंसा पर काम करनेवाली संस्थाओं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मौजूद महिला
 आयोग आदि की जानकारी देने के लिए कर सकता है। लैंगिक हिंसा की कवरेज में इन
 जानकारियों को शामिल करना एक नियमित अभ्यास होना चाहिए।

सर्वाइवर के साथ हिंसा के दौरान क्या-क्या हुआ यह बताना ज़रूरी नहीं:

लैंगिक हिंसा की ख़बरों में अधिकतर हिंसा कैसे हुई, हिंसा के दौरान क्या-क्या हुआ, सर्वाइवर को शारीरिक तौर पर किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया इसका ज़िक्र ज़रूर किया जाता है। साथ ही इन जानकारियों के लिए बेहद सनसनीखेज़ और असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इन जानकारियों को इस तरीके से लिखने से बचना चाहिए।

सर्वाइवर और आरोपी के रिश्ते को केंद्र में रखना:

लैंगिक हिंसा के मामले में इस बात को केंद्र में रखना कि सर्वाइवर आरोपी को पहले से जानते थे, इसलिए हिंसा हुई ख़ासकर मामला जब प्रेम संबंध का हो, यह अपराध की गंभीरता को कम करता है।

बलात्कार/यौन हिंसा की घटनाओं को सर्वाइवर की इज्ज़त/आबरू लुट जाने के रूप में चित्रित न करें:

आज भी लैंगिक हिंसा/यौन हिंसा से जुड़ी ख़बरों में इज्ज़त लुटना, तार-तार होना, हैवानियत का शिकार, चीरहरण, मुंह काला जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इन पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी शब्दों की जगह बलात्कार, यौन हिंसा, लैंगिक हिंसा, रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल न करें जिसमें सर्वाइवर को कमज़ोर या असहाय दिखाया गया हो:

लैंगिक हिंसा की ख़बरों में ऐसी तस्वीरों का प्रयोग करें जिसमें सर्वाइवर को कमज़ोर या असहाय न दिखाया जाए। इन खबरों में लैंगिक हिंसा के ख़िलाफ़ होनेवाले प्रदर्शनों की तस्वीर इस्तेमाल करना सबसे बेहतर विकल्प होता है।

एकतरफा प्रेमी/सिरफिरे आशिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें:

इन शब्दों का इस्तेमाल उन लैंगिक अपराधों के संदर्भ में किया जाता हैं जहां दोषी द्वारा अपराध सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्वाइवर ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया होता है। पितृसत्तात्मक सोच के तहत मर्द अपना प्रस्ताव ठुकराए जाने पर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन लैंगिक हिंसा की घटनाओं में सिरिफरा आशिक, एकतरफा प्यार जैसे शब्दों के इस्तेमाल से लैंगिक/यौन हिंसा की गंभीरता कम होती है। साथ ही इसे सर्वाइवर की गलती के रूप में देखा जाने लगता है।

- सर्वाइवर या उनके परिवारों के साक्षात्कार के दौरान अत्यधिक संवेदनशीलता बरतें: लैंगिक और यौन हिंसा के सर्वाइवर्स के लिए बार-बार अपने अनुभव के बारे में बात करना मानसिक और भावनात्मक रूप से एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसे में लैंगिक या यौन हिंसा के सर्वाइवर्स के साक्षात्कार के दौरान मीडियाकर्मियों को अत्यधिक संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए।
- सर्वाइवर्स पर भरोसा करें:
 लैंगिक हिंसा की ख़बरों में आरोप लगाने की भाषा सर्वाइवर को संदेह के घेरे में रखती है।
 लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स पर भरोसा करना, उन्हें न्याय दिलाने की ओर पहला कदम
 होता है।
- 15 सर्वाइवर की पहचान को उजागर न करें:

ख़बरों को सनसनीखेज़ बनाने के चक्कर में मीडिया कई बार सर्वाइवर्स से जुड़ी जानकारियों का, उनकी पहचान का खुलासा कर देती है। ऐसा करने से मीडिया को बचना चाहिए। यौन हिंसा के मामलों में सर्वाइवर/पीड़ित की पहचान उजागर करने से तात्पर्य सिर्फ उसके नाम या तस्वीर से नहीं है, बिल्क ऐसी किसी भी जानकारी से है जिससे उनकी पहचान उजागर होने की संभावना हो। साथ ही सिर्फ यौन हिंसा के मामलों में ही इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए बिल्क लैंगिक हिंसा के हर मामले में सर्वाइवर की पहचान को लेकर संवेदनशीलता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए।

- ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जो सर्वाइवर्स या अन्य लोगों को नसीहत दे: लैंगिक हिंसा की घटनाओं को दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश न करें। साथ ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जो लोगों को नसीहत देती नज़र आए। ऐसी
 - साथ ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जो लोगों को नसीहत देती नज़र आए। ऐसी भाषा और कवरेज पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है जिससे मीडिया को बचना चाहिए।
- कवरेज का उद्देश्य लैंगिक बराबरी, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना होना चाहिए: लैंगिक हिंसा, लैंगिक गैरबराबरी, पितृसत्तात्मक सोच का ही एक परिणाम है। इसलिए लैंगिक हिंसा की कवरेज का मुख्य उद्देश्य इसकी रोकथाम होना चाहिए न कि रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देना। कवरेज के दौरान इस बिंदु को ध्यान में रखना तब और ज़रूरी हो जाता है जब हमारे समाज में लैंगिक हिंसा आज भी एक बेहद गंभीर समस्या के रूप में मौजूद है।
- लैंगिक हिंसा को मानवाधिकार हनन के रूप में पहचानें: लैंगिक हिंसा दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार हनन में से एक है इस बात को लगातार रेखांकित किया जाना ज़रूरी है। साथ ही यह बताने की ज़रूरत है कि ये हिंसा की घटनाएं निजी या घर की बात नहीं हैं बल्कि एक व्यवस्थित शोषण की प्रक्रिया है।

हमारे साथ जुड़ें

यदि आप इस टूलिकट को अपने संस्थान में लागू करने के लिए फेमिनिज़म इन इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या इसका अनुवाद किसी स्थानीय भाषा में करवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर आपके लिए वर्कशॉप आयोजित करें तो हमें

hindi@feminisminindia.com पर ईमेल करें!

जेंडर, यौनिकता, लैंगिक हिंसा आदि पर मौजूद नारीवादी व समावेशी रिसोर्स:

- https://creaworld.org/wp-content/resources/publications/hindi-publications/Narivadi-Shabdkosh.pdf2-
- 2 https://sayfty.com/hi_in/survivorstoolkit/3-
- 3 https://standupagainstviolence.org/en_US/4-
- https://www.jagori.org/
- 5 https://emanjari.com/
- 6 https://streekaal.com/
- https://thethirdeyehindi.in
- 8 https://inbreakthrough.org/media-kits/

रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए संदर्भ

- Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018, World Health Organization
- Crime in India 2021,
 National Crimes Records Bureau
- Handbook for National Action Plans on Violence Against Women, UN Women
- "Everyone Blames Me" Barriers to Justice and Support
 Services for Sexual Assault Survivors in India,
 Human Rights Watch Report
- Violence against Women and Girls with Disabilities,
 United Nations